

प्रारूप व्यापार चिन्ह -1
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्टर में माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह (सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए
आवेदन। धारा 18 (1), नियम 25 (1)

(व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा
किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

² -----की बाबत ¹ -----वर्ग के साथ लगे व्यापार चिन्ह का, रजिस्टर में ³ -----

-----के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-⁴ ----- है और जो उक्त माल या

सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वायत्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिसके/ जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग प्रस्तावित

है या और जिसके/जिनके और उसके/उनके हम पूर्वाधिकारी/पूर्वाधिकारियों ⁶ द्वारा उक्त चिन्ह की तारीख ⁷ ----- से

निरंतर उपयोग किया जा रहा है, रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

⁸ -----

⁹ -----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

¹⁰-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----¹¹ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा।
2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का व्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया हैं तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हों, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपर्दर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -2
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

किसी कन्वेशन देश के रजिस्टर में व्यापार चिन्ह (सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

(धारा 18 (1), 154 (2), नियम 25 (3) और 26)

(व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

¹-----की बाबत ²-----वर्ग के साथ लगे व्यापार चिन्ह का, रजिस्टर में ³-----
-----के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴-----है और जो उक्त माल या
सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वात्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिसके/ जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग प्रस्तावित है या और जिसके/जिनके और उसके/उनके हम पूर्वाधिकारी/पूर्वाधिकारियों द्वारा उक्त चिन्ह की तारीख ⁷-----से
निरंतर उपयोग किया जा रहा है, रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

व्यापार चिन्ह को कन्वेशन देश में रजिस्टर करने के लिए आवेदन-----में तारीख-----को
किया गया है।

ऐसे कन्वेशन देश के, जिसमें आवेदन फाइल किया गया है, अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित, प्रमाणित प्रति(जिसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ)
संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि उपरिवर्णित कन्वेशन देश में आवेदन के आधार पर व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के
उपबंधों के अधीन पूर्वक्ता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाये।

⁸----- ⁹-----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

-----¹⁰-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----¹¹ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा।
2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। नियमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, नियमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए। यदि आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा है, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपर्दर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकारी के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकारी या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -3
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 10,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

सामूहिक व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

सामूहिक चिन्ह की पाँच समाकृतियों और प्रारूप व्या.चि.49 में प्रारूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।
धारा 63 (1), नियम 25 (7)(3) और नियम 128(1)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

³ _____-के नाम में _____-जिनका पता _____-

⁴ _____-है, _____-के बारे में-----

² _____वर्ग में सामूहिक चिन्ह सहित, रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁵ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

_____⁶ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा।
2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय, राष्ट्रीयता और आजीविका), सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम व स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -4
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 10,000₹.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। (नियम 135)

धारा 713 (1), नियम 25 (2)(क) और नियम 135 देखिए

प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह की पाँच समाकृतियों और प्रारूप व्या.चि.49 में प्रारूप विनियम की तीन प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।

इस रिक्त स्थान में एक समाकृति चिपकाई जाए और अन्य चार पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

साथ वाले प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के² -----की बाबत¹ -----वर्ग में रजिस्टर में³ -----के नाम में, जिनका पता⁴ ----- है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है:-

आवेदक उस प्रकार के माल या वस्तुओं में कारोबार नहीं कर रहा है/ रहें है जस के लिए उक्त प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁵ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁶ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा।
2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय, राष्ट्रीयता और आजीविका), सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय की दशा में, निगमन के स्वरूप औरदेश का उल्लेख किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक का पूरा पता भरिये (भारत में कारोबार या निवास के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो या विदेश में उसके अपने देश में के पते के साथ- साथ भारत में तामील के लिए पता)।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम व स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -5
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के या सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के विरोध की सूचना।

धारा 21 (1), 64, 66, 73, नियम 47 (1) और नियम 131 और 138(1)

(तीन प्रतियों में फाइल किए जाए)

द्वारा किए गए संख्या-----वोले आवेदनके विषय में मैं/ हम¹ -----
उस व्यापार चिन्ह/ प्रमाणीकरण चिन्ह/ सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने के
आपने आशय की सूचना देता हूँ/ देते हैं जिसका विज्ञापन² -----के मास -----
की तारीख-----वाली व्यापार चिन्ह पत्रिका के पृष्ठ-----परउक्त
संख्या वाले निर्देश से -----वर्ग के बारे में हुआ है।

विरोध के आधार निम्नलिखित है:-

³ -----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁴ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁵ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता लिखिये। यदि विरोधी का भारत में कारोबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए उसका पता दिया जाना चाहिए।
2. जो आवश्यक नहीं है उसे काट दें।
3. यदि रजिस्ट्रीकरण का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि चिन्ह उन चिन्हों से मिलता है जो कि रजिस्टर में पहले से ही चढ़े हुए हैं, तो उन चिन्हों की, और उन पत्रिकाओं का जिनमें विज्ञापन हुआ हैं, संख्याएँ दीजिए।
4. विरोधी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -6
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 1000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

प्रतिकथन का प्रारूप
[धारा 21 (2), 47, 57, 59, नियम 49, 93, और नियम 101]

(तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकरण के लिए वर्ग-----संख्या-----वाले आवेदन के संख्या-
-----वाले विरोध के विषय में ।
उक्त व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक में/ हम¹ -----यह सूचना
देता हूँ/ देते हैं कि अपने आवेदन के लिए जन आधारों का मैं/ हम सहारा लेता हूँ/ लेते हैं वे निम्नलिखित है।
मैं/ हम विरोध की सूचना में निम्नलिखित अभिकर्ताओं को स्वीकारोक्त करता हूँ/ करते हैं।
इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

2 -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----³ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में यथाकथित पूरा नाम और पता दीजिये।
2. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये। नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -7
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

सुनवाई में हाजिर होने के आशय की सूचना

[धारा 21, 47, 57, 59, 64, 66, 73 और 77]

[नियम 56 (1), 93, 99, 101, 131, 132, 133, 138, 139 और 140]

¹-----के विषय में मैं/ हम ²-----यह
सूचना देता हूँ/ देते हैं कि उक्त विषय की बात जो सुनवाई तारीख-----वाली (मुझे या हमें) राजकीय
सूचनाके अनुसार तारीख-----को, -----³में-----बजे पूछान्त या --
-----बजे अपराह्न होनी हैं उसमें मैं/ हम हाजिर रहूँगा/ होंगे या मेरी/ हमारी ओर से कोई व्यक्ति हाजिर
होगा।

इस कार्यवाही से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁴-----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁵ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जैसी विशिष्टियाँ जो राजकीय सूचना में हैं, उन्हें अन्तःस्थापित कीजिए।
2. नाम और पता अन्तःस्थापित कीजिए।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का कार्यालय का वह स्थान अन्तःस्थापित कीजिये जहाँ राजकीय सूचना के अनुसार सुनवाई होगी।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति यात्सके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

प्रासूप व्यापार चिन्ह -8
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं.6 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

किसी वर्ग में या विभिन्न वर्गों के लिए माल या सेवाओं के लिए श्रंखला व्यापार चिन्ह (सामूहिक चिन्ह का प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।
धारा 15 (3), नियम 25 (10) और नियम 31

व्यापार चिन्ह के पाँच अतिरिक्त अभ्यावेदनों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

² -----की बाबत -----वर्ग के साथ लगे व्यापार चिन्ह के लिए श्रंखला व्यापार चिन्ह रूप में, रजिस्टर में³ -----के नाम/नामों में, जिनका/ जिसका पता⁴ -----है और जो उक्त मालों की बाबत उनका/ उनके स्वत्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है⁵ या और जिसके और उनके (उनके हक पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों)⁶द्वारा उक्त चिन्ह की तारीख-----से निरंतर उपयोग किया जा रहा है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

⁸ -----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁹ -----
10-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----¹¹ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो आवश्यक न हो उसे काट दें।
2. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा। वस्त्र माल से संबंधित ऐसे चिन्ह की दशा में जो अक्षर या अंकों से मिलकर बने हैं या उनके किसी संयोजन से बने हैं तो पाँचवीं अनुसूची की मद संख्यांक का कथन किया जाए यदि माल उक्त अनुसूची की मर्दों में से किसी के अंतर्गत आता है (नियम देखें)।
3. जहाँ हस्ताक्षर के ठीक पूर्व वाले स्थान पर माल या सेवाओं के विनिर्देश पाँच सौं अक्षर से अधिक के हैं तो वहाँ आवेदक अक्षरों की वास्तविक संख्या कथन करेगा।
4. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय, राष्ट्रीयता और आजीविका), सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
5. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हों, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
6. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
7. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हक पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
8. यदि 3 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं में बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मर्दों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
9. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।----- यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -9
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 1500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापारचिन्ह के संबंध में प्रतिकथन का प्रारूप

[धारा 64,66,73 और 77]

[नियम 131 से 133 और नियम 137 से 140]

(चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा)

मैं/ हम² -----जो उपयुक्त संख्या वाले आवेदन के बारे में आवेक हूँ/ है यह सूचना देता हूँ/ देते हैं कि मैं/ हम अपने आवेदन का समर्थन करने के वास्ते जिन आधारों का सहारा लूँगा/ लेंगे वे -----निम्नलिखित है:-
मैं/ हम विरोध की सूचना में के निम्नलिखित अभिकथन स्वीकार करता हूँ/ हैं।

इस कार्यवाही से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

3-----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

⁴ ----- में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो उसे काट दें।
2. पूरा नाम और राष्ट्रीयता अंतः स्थापित करें। यदि विरोधी के पास भारत कारोबार या निवास कास्थान नहीं है तो तामील के लिए भारत का पूरा पता दिया जाना चाहिए।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -10
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 3,000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह, सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापारचिन्ह के नवीनीकरण के लिए अधिभार के संदाय के लिए आवेदन।

[धारा 25 (3)का परन्तुक, नियम 65, 132 (ख), और 138 (3)]

[प्रारूप व्या.चि.---12 और व्या.चि. 13 और उनकी विहित फीस के साथ फाइल किया जाए।]

मैं/ हम¹ -----जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं² -----वर्ग-----
-----में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह/ सामूहिक चिन्ह/ प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के जिसका-----
-को अवसान हो गया था, नवीनीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं और उसकी बाबत विहित अधिभार का संदाय करता हूँ/ करते
है और नवीनीकरण प्रमाणपत्र भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए:-

तारीख -----

³ -----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁴ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो उसे काट दें।
2. यहाँ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता अंतः स्थापित करें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -11
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 5000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

नियम 32 के अधीन तलाशी और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध।

मैं/ हम -----रजिस्ट्रार से यह पता लगाने के लिए तलाशी का अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि क्या कोई ऐसा/ ऐसे व्यापार चिन्ह अभिलेख पर है/ हैं जो इसके साथ तीन प्रतियां भेजी गई कंपनी के नाम /प्रस्थापित नाम के सदृश है,(प्रत्येक समाकृति लगभग 33*20 से.मी. के आकार में मजबूत कागज की शीट पर मढ़ा जाए) और प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-:

तारीख -----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----" में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. भारत में पता

2. हस्ताक्षर

प्रारूप व्यापार चिन्ह -12
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस के लिए पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 17 से 20 तक और 22 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह, सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापारचिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण ।

[धारा 25 (नियम 63 (1) 132 (ख) और 138 (3)]

मैं/ हम² ----- संख्या----- वाले ----- वर्ग में व्यापार चिन्ह/
सामूहिक चिन्ह प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए -----रु. की विहित फीस
देता हूँ/ देते हैं।

रजीस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएः

तारीख -----³ -----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁴ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो उसे काट दें।
2. यहाँ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता अंतः स्थापित करें।
3. रजीस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

टिप्पणी : यदि यह प्रारूप पिछले रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छः मास से अधिक पूर्व फाइल किया गया है, तो यह लौटा दिया जाएगा।
अधिनियम की धारा 159 की उपधारा (6) पर भी ध्यान दें।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -13
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 5000 रु. और साथ ही पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 17 से 20 तक में विहित लागू नवीनीकरण फीस।

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

नवीनीकरण फीस न देने के कारण रजिस्टर से हटाये गये व्यापार चिन्ह का प्रत्यावर्तन और नवीनीकरण।

[धारा 25 (4) नियम 66, 132 (ख), और 138 (3)]

मैं/ हम¹ ----- यह आवेदन करताहूँ/ करते हैं कि ----- वर्ग में के -----
----- संभ्या वाले व्यापार चिन्ह /रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए और उक्त व्यापार चिन्ह के उपरोक्त वर्ग में
रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण कर दिया जाए और प्रत्यावर्तन तथा नवीनीकरण की सूचना भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए।
तारीख -----

² -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----³ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहाँ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम औरपता अंतः स्थापित करें।
2. रजीस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -14
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस प्रत्येक विघटन के लिए 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह और किसी / किन्हीं अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के बीच सहयोजन समाप्त करने के लिए आवेदन।

[धारा 16 (5)का परन्तुक, नियम 60(2)]

(मामले के कथन के साथ दिया जाए)

-----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत -----सं. वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।

मैं/हम-----पूर्वोक्त सं. वाले व्यापार चिन्ह का/ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होने के नाते यह आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि इस व्यापार चिन्ह का मेरे/ हमारे नाम में निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के साथ सहयोजन समाप्त कर दिया जाए और तदनुसार रजिस्ट्रार का संशोधन किया जाए।

(^-----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत सं.-----
-----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत सं.-----

इस आवेदन के आधार साथ लगे मामले के कथन में उपर्याप्त है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

^-----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----³ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अतिरिक्त संख्याएं प्रारूप के पीछे हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेंगी।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/स्वायत्वधारियों या उसके अभिकर्ता / अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -15
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 1000 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

विनिश्चय के आधारों के कथन के लिए प्रार्थना
नियम 40 (1)

¹ -----के विषय में रजिस्ट्रार से यह प्रार्थना की जाती है कि -----के --
मास के -----दिन जो विनिश्चय उसने -----के-----
मास के -----दिन को हुई सुनवाई के पश्चात किया था उसके आधार और विनिश्चय करने में
उसके द्वारा प्रयुक्त सामग्री को वह लिखित रूप में कथित करें।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएः-
तारीख -----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

² -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----³ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. वे विशिष्टयां यहां भरिये जिन से आवेदन की पहचान हो सकती है।
2. रजीस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -16
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस: 500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

लिपिकीय गलती की शुद्धि कि लिए या संशोधन के लिए प्रार्थना
[धारा 18 (4),22 और 58 (नियम 41,91,97]

¹ -----के विषय में, मैं/ हम ² -----जो आवेदक हूँ/ हैं

रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी
रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

यह प्रार्थना करता हूँ/ करते हैं कि -----

स्वत्वधारी/ स्वत्वधारियों -----रजिस्ट्रीकृत

³इस प्रार्थना की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ उपयोक्ताओं पर की गई है।

इस आवेदन सं संबंधित सभी की संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएः
तारीख -----

⁴-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

फीस: नीचे पाद टिप्पण देखिएं

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁵ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. प्रविष्ट या आवेदन या विरोध की पहचान करानेवाले शब्द और निर्देश संख्या भरिए
2. जो लागू न हो उसे काट दें।
3. जो शब्द लागू नहीं है, उन्हें काट दें।
4. हस्ताक्षर
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

टिप्पण : फीस 500 रु.। किंतु जहाँ शुद्धि या संशोधन के लिए प्रार्थना लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप की जाती है, वहाँ कोई फीस देय नहीं होगी।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -17
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहले व्यापार चिन्ह के लिए 2500 रु. और समनुदेशन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिन्हों लिए 500 रु।

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के प्रस्थापित समनुदेशन के लिए प्रतिनिर्देश में धारा 40 (2) के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के लिए
आवेदन। [नियम 77]

(मामले के कथन की दो प्रतियां और प्रतिस्थापित समनुदेशन की एक प्रति उसके साथ होनी चाहिए।)

-----⁵-के नाम में-----वर्ग/वर्गों में रजिस्ट्रीकृत-----संख्या/ संख्याओं
वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के विषय में

¹-----जो उपरिवर्णित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का/के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है/हैं, ऐसी परिस्थितियों
में, जो साथ लगे मामले के कथन में पूर्णतः कथित है ²-----को -----संख्या/ संख्याओं वाले रजिस्ट्रीकृत
व्यापारचिन्ह के प्रस्थापित समनुदेशन के प्रतिनिर्देश में, धारा 40 (2)के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है/ करते है।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएः

तारीख -----

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁴ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता भरिए।
2. प्रस्थापित समनुदेशिती का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिए।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए- नियम 4 देखिये।

³ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

प्रारूप व्यापार चिन्ह -18
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

शपथ पत्र

(यह केवल उसी अवस्था में दिया जाए जब कि धारा 40(2) के अधीन फाइल किए गए या नियम 68 के अधीन प्रार्थनापत्र के साथ लगे मामले के कथन के समर्थन में यह रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हो)

(तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार स्टाम्पित किया जाए)

मैं, जो 1-----का -----हूँ, सत्यनिष्ठा और सत्यमन से यह घोषणा करता हूँ कि-----
वर्ग में के-----व्याप्त संख्या चिन्ह में मेरे द्वारा मामले के कथन में
दी गई विशिष्टियों 2-----में चिह्नित और मेरे द्वारा प्रदत्त प्रदर्शन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इनमें वे प्रत्येक सारावान तथ्य और दस्तावेज समाविष्ट है, जो व्यापार चिन्ह की वर्तमान स्वत्वधारिता को प्रभारित करते हैं।

3-----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएः

तारीख -----

मेरे समकक्ष 4-----में घोषित

1. अभिसाक्षी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिए।
2. संबंद्ध कार्यवाहिनियों की विशिष्टियाँ दीजिए।
3. यहाँ घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।
4. उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पद जिसके समक्ष शपथपत्र दिया गया। भारत में शपथपत्र किसी न्यायालय के या ऐसे व्यक्ति के, जिसे विधि द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार है, या ऐसे पदाधिकारी के, जिसे शपथ दिलाने की शक्ति न्यायालय द्वारा प्रदत्त है, समक्ष दिया जा सकेगा। भारत के बाहर शपथपत्र राजनयिक और वाणिज्य दूतीय पदाधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 के अर्थ में या ऐसे देश या स्थान के राजनयिक या वाणिज्य दूतीय पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा या उस स्थान के नोटरी के समक्ष उस सूरत में किया जा सकता है जिसमें कि स्थान के नोटरी के द्वारा किए गए नोटरी संबंधी कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन मान्यता प्राप्त है।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -19
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

फीस : पहले व्यापार चिन्ह के लिए 2500रु. और प्रत्येक अन्य व्यापार चिन्ह के लिए 500 रुपए।

व्यापार चिन्ह के ऐसे प्रस्थापित समनुदेशन का या ऐसे पारेषण का, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भागों के लिए, विभिन्न व्यक्तियों को अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं, धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन।

[नियम 77]

(मामले के कथन की दो प्रतियों और समनुदेशन के लिए संस्थापित या पारेषण करने वाली लिखत की एक प्रति के साथ)

(-----वर्ग/ वर्गों में-----संख्या/संख्याओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत।)

-----व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के विषय में इ

*(1)²-----द्वारा , जो कि निम्नलिखित माल या सेवाओं³-----के बारे में (उसके नाम में रजिस्ट्रीकृत) और (उसके द्वारा उपयोग में लाए जानेवाले) उस व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का स्वत्वधारी हैं, जो साथ लगे मामले के कथन में दर्शित है,⁴-----को निम्नलिखित माल या सेवाओं के बारे में, ⁵में बेची जानी है, या जिनका अन्यथा व्यवसाय किया जाना है) और ⁶-----को निम्नलिखित सब माल या सेवाओं⁵-----के बारे में जो बेची जानी है, या अन्या जिनका व्यापार किया जाना है) उन सब परिस्थितियों में जो कि साथ लगे मामले के कथन में पूर्णतः कथित हैं, व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का प्रस्थापित समनुदेशन करने वलो वास्ते रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है।

*(2)⁷-----द्वारा, जो कि यह दावा करता है कि साथ लगे मामले के कथन में दर्शित व्यापार चिन्ह निम्नलिखित माल या सेवाओं अर्थात्-----के बारे में था/थे और ⁸-----के-----के दिन को उसे (iii)⁹-----के माध्यम द्वारा जो कि उसका हक्क पूर्वाधिकारी था) ¹⁰-----द्वारा या से, जिसके द्वारा व्यापार चिन्ह का उपयोग तब निम्नलिखित माल या सेवाओं अर्थात्-----के बारे में उन सब परिस्थितियों में जो कि साथ लगे मामले के कथन में पूर्णतःहै, किया जाता था, पूर्वोक्त पारेषण के लिए रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं।

तारीख-----

11-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

¹²-----में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

*या तो पैरा (i) या पैरा (ii) काट दीजिए।

1. अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों की दशा में काट दें।
2. स्वत्वधारी का नाम और पता भरिए।
3. जो लागू न हो उसे काट दीजिए।
4. प्रस्थापित समनुदेशिती/ समनुदेशितियों का नाम/ के नाम और पता/ पते भरिए।
5. भारत में के स्थान/स्थानों का नाम/के नाम भरिए।
6. यदि अपेक्षित न हो तो कोष्ठकबद्ध पैरा को काट दीजिए।
7. जो व्यक्ति अपने लिए पारेषण का दावा करता है, उसका नाम और पता भरिए।
8. पारेषण की तारीख अन्तः स्थापित कीजिए।
9. यदि कोई हक्क पूर्वाधिकारी हो तो उसका नाम और पता भरिए।
10. जिस व्यक्ति ने पारेषण किया है, उसका नाम और पता भरिए।
11. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
12. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -20
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

फीस : पहले व्यापार चिन्ह के लिए 2500रु. और प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिन्ह के लिए 500 रुपए।

कारोबार की गुडविल से संबंद्ध से अन्यथा, व्यापार चिन्हों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के लिए निदेशों के लिए आवेदन

1 धारा 42 नियम 74 (i)

(दो प्रतियों में फाइल किया जाए)

उस कारोबार की जिसमें निम्नलिखित व्यापार चिन्हों का उपयोग किया जा चुका था/ किया गया था, ²गुडविल से संबंद्ध से अन्यथा उन व्यापार चिन्हों के समनुदेशन का विज्ञापन कराने के विषय में रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए¹ -----
-द्वारा आवेदन किया जाता है।

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह :

वे माल या सेवाएं जिनके बारे में चिन्ह का
उपयोग किया जा चुका है/ या हुआ है और जिनको समनुदेशित
किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण संख्या

वर्ग

वे सब ³-----के नाम में, जो समनुदेशक है, रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं या किए गए थे।

(ii) वे अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, जो सभी ऐसे चिन्ह हैं, जिनका उपयोग ³-----के-----
-----द्वारा जो कि समनुदेशक हैं, अपना कारोबार में माल या सेवाओं के बारे में किया जा चुका था या किया जाता
था।

(iii) * (i)

चिन्ह की समाकृति

वे माल या सेवाएं जिनके बारे में चिन्ह का
उपयोग किया जा चुका है/ या हुआ है और जिनको
समनुदेशित किया गया है।

समनुदेशन की तारीख 20 -----के-----मास का-----दिन था।

समनुदेशन को प्रभावित करनेवाली लिखत उसकी एक प्रति सहित इसके साथ भेजी जा रही है।

यह सुझाव दिया जाता है कि विज्ञापन निकालने का निदेश निम्नलिखित में अर्थात -----में
दिया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी।

तारीख -----

5 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
6-----में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

जिन अतिरिक्त चिन्हों रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के लिए स्थानाभाव हैं, उन्हें हस्ताक्षरित अनुसूची में इस प्रारूप की पीठ पर दिया जा सकेगा।

1. समनुदेशित / आवेदक का नाम, राष्ट्रीयता और पता भरिए।
2. जो शब्द लागू नहीं है, उन्हें काट दीजिए।
3. स्वत्वधारी/समनुदेशक का नाम, राष्ट्रीयता और पता भरिए।
4. केवल ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह यहां लिखिए जो एक समनुदेशन से ही संक्रात होते हैं और एक ही कारोबार में और उन्हें माल या सेवाओं के लिए उपयोग में आते हैं, जिनक लिए रजिस्ट्रीकृत चिन्हों में से एक या अधिक रजिस्ट्रीकृत हुए हैं।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
6. व्यापार चिन्हों रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए-----नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -21
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

फीस : 1, 2, या 3 मास के विस्तार के लिए क्रमशः के लिए 500 रु., 1000रु., या 1500रु.।

कारोबार की गुडविल से संबंद्ध से अन्यथा, व्यापार चिन्हों के समनुदेशन का विज्ञापन निकालने के लिए रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए आवेदन करने का समय बढ़ाने के लिए आवेदन।

(धारा 42 नियम 74 (3))

उस कारोबार की जिसमें व्यापार चिन्हों³ का उपयोग किया जा चुका था/ किया गया था, गुडविल से संबंद्ध से अन्यथा निम्नलिखित व्यापार चिन्हों के समनुदेशन का विज्ञापन कराने के विषय में रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए² -----
--मास/मासों का समय बढ़ाने के लिए -----¹ द्वारा आवेदन किया जाता है। अर्थात्

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह :

वे माल और सेवाएं जिनके बारे में चिन्ह का उपयोग किया जा चुका है/ या हुआ है और जिनको समनुदेशित किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण संख्या

वर्ग

वे सब -----के⁴ -----नाम में, जो समनुदेशक है, रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं या किए गए थे।

(ii) वे अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, जो सभी ऐसे चिन्ह हैं, जिनका उपयोग -----के- 4-----
-----द्वारा जो कि समनुदेशक हैं, अपना कारोबार में माल या सेवाओं के बारे में किया जा चुका था 1या किया जाता था।

(iii) *(i) चिन्ह की समाकृति

वे माल या सेवाएं जिनके बारे में चिन्ह का उपयोग किया जा चुका है/ या हुआ है और जिनको समनुदेशित किया गया है।

समनुदेशन की तारीख -----थी।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी।

तारीख -----

5 -----

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

हस्ताक्षर

सेवा में,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
⁶ -----में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

जिन अतिरिक्त चिन्हों रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के लिए स्थानाभाव हैं, उन्हें हस्ताक्षरित अनुसूची में इस प्रारूप की पीठ पर दिया जा सकेगा।

1. समनुदेशित / आवेदक का नाम, राष्ट्रीयता और पता भरिए।
2. 'एक' या 'दो' या 'तीन' भरिये।
3. जो शब्द लागू नहीं है, उन्हें काट दीजिए।
4. स्वत्वधारी/समनुदेशक का नाम, राष्ट्रीयता और पता भरिए।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
6. व्यापार चिन्हों रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए-----नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -22
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस 2500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

अनन्य रूप से अंकों या अक्षरों से युक्त वस्त्र व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

धारा 18 (1), 25 (5) नियम 144 और 145
(व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए। नियम 28 देखिए।

¹ -----की बाबत ² -----वर्ग के साथ लगे व्यापार चिन्ह का, रजिस्टर में ³ -----
-----के नाम/नामों ⁴ में, जिसका/जिनका पता-⁵ ----- है और ⁷ जो उक्त माल
या सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वात्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं⁸ और [जिसके/ जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग प्रस्तावित है या और जिसके/जिनके और उसके/उनके हम पूर्वाधिकारी/पूर्वाधिकारियों द्वारा उक्त चिन्ह की तारीख 20----- से निरंतर उपयोग किया जा रहा है,] रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

⁹ -----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----20

10-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----¹¹ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो आवश्यक न हो उसे काट दें। आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अतिरिक्त समाकृति पर चिन्ह नाम, आवेदक का पता, माल या सेवाओं का वर्णन, पाँचवीं अनुसूची में उल्लिखित वस्त्र माल की मद, व्यापार चिन्ह के उपयोग की अवधि, व्यापार का वर्णन और भारत में तामील के लिए पता होना चाहिए।

2. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा।
3. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
4. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
5. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
6. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
7. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
8. यदि 3 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मर्दों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
9. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।----- यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपर्दर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकार्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकार्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 123 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -23
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 27 और 28 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

हक के एक ही न्यागमन पर व्यापार चिन्हों के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में अन्तरिती का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अन्तरिती द्वारा संयुक्त प्रार्थना
(धारा 45, नियम 68)

हम¹ ----- और² ----- नियम 68 के अधीन यह प्रार्थना करते हैं कि⁵ -----
----- में, -----⁴ के रूप में कारोबार करने वाले³ -----
----- का नाम व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रर में ----- वर्ग संख्या के संख्या/ संख्याओं² वाले व्यापार चिन्हों⁶
के स्वत्वधारी के रूप में⁷ ----- तारीख से -----⁵की सामर्थ्य से, जिसकी मूल और अभिप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है, से व्यापार चिन्ह रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए।

व्यापार चिन्ह का समनुदेशन उस कारोबार से, जिसमें चिन्ह का उपयोग किया गया था/ हुआ था⁹ गुडविल से संबंध अन्यथा (नहीं) किया गया था (और इसके साथ समनुदेशन का विज्ञापन करने के बास्ते रजिस्ट्रर के निदेश की प्रति, निदेशों के अनुपालन में हुए विज्ञापनों में से प्रत्येक की एक प्रति और जिन प्रकाशनों में वे प्रकाशित हुए थे, उन के अंकों की तारीखों का विवरण पत्र भेजा जाता है।)

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं/ करता हूँ कि इसमें कथित तथ्य और बातें हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संस्कृनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

10-----

समनुदेशक के हस्ताक्षर

11-----

अंतरिती के हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----¹² में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, या अन्य समनुदेशक या पारेषक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
2. अंतरिती का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता।
3. अंतरिती का नाम।
4. अंतरिती की आजीविका या वृत्ति का अभिवर्णन।

5. अंतरिती, का भारत में कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, तो पता आवेदक की राष्ट्रीयता और वर्णन भरिए। यदि भारत में कारोबार का कोई स्थान हीं है, तो भारत में निवास के स्थान का पता लिखें, यदि भारत में निवास का भी स्थान नहीं है तो विदेश में उसके अपने देश का पता लिखें और भारत में तामील के लिए पता लिखें।
6. अतिरिक्त संख्याएं प्रारूप की पीठ पर हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेंगी।
7. स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख।
8. यदि समनुदेशन या पारेषण की कोई लिखत हैं तो उसकी पूर्ण विशिष्टियाँ या मामले का कथन।
9. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
10. समनुदेशन या पारेषक या उसे अभिकर्ता के हस्ताक्षर
11. अन्तरिती या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
12. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -24
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 27 और 28 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

हक के एक ही न्यागमन पर व्यापार चिन्हों व्यापार चिन्हों के पश्चात्तरी स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रार्थना
(धारा 45, नियम 68)

हम¹ ----- और² ----- यह प्रार्थना करते हैं कि मेरा / हमारा नाम,-----
वर्ग में ----- के संख्या/ संख्याओं² वाले व्यापार
चिन्हों के स्वत्वधारी के रूप में तारीख³ ----- से व्यापार चिन्ह रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए।
मैं/ हम³ ----- के सामर्थ्य से, जिसकी मूल प्रति और अभिप्रमाणित प्रति इसके
साथ संलग्न है, व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के लिए हमदार हूँ/हैं।

व्यापार चिन्ह का समनुदेशन उस कारोबार से, जिसमें चिन्ह का उपयोग किया गया था/ हुआ था गुडविल से संबंद्ध अन्यथा
(नहीं) कियागया था (और इसके साथ समनुदेशन का विज्ञापन करने के बास्ते रजिस्ट्रार के निदेश की प्रति, निदेशों के अनुपालन में हुए
विज्ञापनों में से प्रत्येक की एक प्रति और जिन प्रकाशनों में वे प्रकाशित हुए थे, उन के अंकों की तारीखों का विवरण पत्र भेजा जाता है।)

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं/ करता हूँ कि इसमें कथित तथ्य और बातें हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार
सत्य हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संस्चूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

6-----

समनुदेशक के हस्ताक्षर

11-----

अंतरिती के हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁷ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का पूरा नाम, का भारत में कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, तो पता आवेदक की राष्ट्रीयता और वर्णन भरिए। यदि भारत में कारोबार का कोई स्थान हीं है, तो भारत में निवास के स्थान का पता लिखें, यदि भारत में निवास का भी स्थान नहीं है तो विदेश में उसके अपने देश का पता लिखें और भारत में तापील के लिए पता लिखें।

2. अतिरिक्त संख्याएं प्रारूप की पीठ पर हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेगी।
3. स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख।
4. यदि समनुदेशन या पारेषण की कोई लिखत हैं तो उसकी पूर्ण विशिष्टियाँ या मामले का कथन।
5. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
6. अन्तरिती या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
7. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -25
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2,4, या 6 मास के विस्तार के लिए क्रमशः 500,1000,1500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

किसी कंपनी का नाम व्यापार चिन्ह के पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए धारा 46(4) के अधीन आवदेन।

-----¹नियम 79) द्वारा, आवेदक/ आवेदकों के धारा 46 की उपधारा (1) का अनुपालन करने पर रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के स्वत्वधारी के रूप में-----³का नाम, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए, जो एक ही समनुदेशन के बल पर हुआ हैं, धारा 46 (4) और नियम 79 के द्वारा अनुज्ञात छह मास की अवधि का² -----मास द्वारा समय विस्तार करने के लिए आवेदन किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण के संख्या

वर्ग

⁴-----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

5-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁶ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का नाम और पता भरिये।
2. यहाँ दो चार और छह भरिये।
3. पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जानेवाली कंपनी का नाम भरिये।
4. अतिरिक्त संख्या प्रारूप की पीठ पर हस्ताक्षरित अनुसूची में दी जा सकेंगी।
5. हस्ताक्षर
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -26
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 3000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्टर के परिशोधन के लिए या रजिस्टर से व्यापार चिन्ह के हटाने के लिए आवेदन।
(धारा 47 या 57 और नियम 92)

(दो प्रतियों/ तीन प्रतियों के मामले के कथन की दो प्रतियों / तीन प्रतियों सहित और उनमें से प्रत्येक की उतनी प्रतियों के साथ जितने कि रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है, फाइल किया जाए)

-----के नाम में----- वर्ग में रजिस्ट्रीकृत-----
-संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में
मैं/ हम¹ -----यह आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर वर्णित व्यापार चिन्ह के बारे
में रजिस्टर में प्रविष्टि निम्नलिखित रीति से (हटा दी जाय)², (परिशोधित की जाय)।
मेरे / हमारे आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-
-----³व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय रजिस्टर में इस व्यापार चिन्ह के बारे में समुचित कार्यालय के रूप में
प्रविष्ट किया गया है।
प्रश्नास्पद व्यापार चिन्ह संबंधित कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।
इस आवेदन से संबंधित सभी संस्चूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख ----- 4-----

सेवा में,

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----³ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

- आवेदक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिए। यदि आवेदक का भारत में कारोबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है, तो, भारत में तामील के लिए पता लिखें।
- जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
- व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये। (नियम 4 देखिए)
- हस्ताक्षर
(नियम 4 देखें)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -27
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्टर का परिशोधन करने के लिए या रजिस्टर से व्यापार चिन्ह को हटाने या रजिस्टर से सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रद्दकरण से संबंधित कार्यावाहियों में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए आवेदन।

(धारा 94,133 और 139)

-----वर्ग में -----के नाम में रजिस्ट्रीकृत संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में

मैं/ हम ¹ ----- ऊपर वर्णित व्यापार चिन्ह के बारे में रजिस्टर में प्रविष्टि के परिशोधन याहटाने से संबंधितकार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए यह आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

मेरे / हमारे आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

व्यापार चिन्ह में मेरा/हमारा हित-----है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----20

2-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----³ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरि
2. हस्ताक्षर
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिये। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -28
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 32 और 33 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्ट्रीकृत उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

(धारा 49 और नियम 80)

(रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बीच लिखित रूप से करार या उसकी समयकतः अधिप्रमाणित प्रति, नियम 80(1) में वर्णित अन्य दस्तावेज नियम 80 (1) द्वारा यथा अपेक्षित विशिष्टियों और विवरणों का कथन करत हुए शपथपत्र और पूर्वोक्त दस्तावेजों में से प्रत्येक की दो प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए।)

¹ -----द्वारा जो कि -----³के बारे में -----वर्ग
में रजिस्ट्रीकृत -----संख्या/ संख्याओं ²वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का/के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं और ⁴-----
द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि उक्त ⁵-----को ऊपर वर्णित ⁶-----
के बारे में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के
अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाये-----⁸(प्रस्थापित
अनुज्ञात उपयोग का अंत 20-----के-----मास के-----
दिन हो होना है।)

(प्रस्थापित अनुज्ञात उपयोग समय सीमा के बिना है)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

⁹⁻-----

10-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----¹² में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत/ स्वत्वधारी का नाम और पता तथा राष्ट्रीयता भरिए।

2. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्रारूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।

3. जैसा विनिर्देश रजिस्टर में हैं, वैसा यहाँ दीजिए।
4. प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत, उपयोक्ता का पूरा नाम, अभिवर्णन (आजीविका या उपजीविका), राष्ट्रीयता और भारत में कारोबार के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हों, भरिए। यदि भारत में कारोबार का कोई स्थान नहीं है, तो भारत में निवास के स्थान का पता, यदि कोई हों, भरिये। यदि भारत में निवास का कोई स्थान नहीं भी हैं तो विदेश में उसके अपने देश का पता और भारत में तामील के लिए पता भरिए।
5. प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत, उपयोक्ता का पूरा नाम भरिए।
6. माल या सेवाओं का नाम भरिए (जो कि विनिर्देशन में दिए गए लक्षणों और वस्तुओं से युक्त होनी चाहिए।)
7. यदि कोई शर्त या निर्बंधन नहीं है तो कुछ भी न लिखिये।
8. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
9. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
10. प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -29
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 34 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण में माल या सेवाओं या शर्त या निर्बन्धन के बारे में परिवर्तन करने के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन।

(धारा 50(1) (क) और नियम 87)

(आवेदन के लिए आधारों के कथन)की तीन प्रतियों और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की लिखित सम्मति (यदि दी गई हों) की तीन प्रतियों के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाये।

¹ -----द्वारा जो कि -----³के बारे में -----वर्ग
में -----²संख्या/ संख्याओं वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का/के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ,यह
आवेदन किया जाता है कि ⁴-----के बारे में ऊपर वर्णित व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के
रूप में ⁵-----का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित रीति में ⁶परिवर्तित किया जाए :-
(प्रस्थापित अनुज्ञात उपयोग समय सीमा के बिना है)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

⁶-----

तारीख -----

⁷⁻-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁸ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत/ स्वत्वधारी का नाम और पता भरिए।
2. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्रारूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
3. जैसा विनिर्देश रजिस्टर में हैं, वैसा यहाँ दीजिए।
4. रजिस्ट्रीकृत, उपयोक्ता का पूरा नाम, और पता भरिए।

- 5.. माल या सेवाओं को यहाँ लिखिये जिसके बारे में रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का रजिस्ट्रीकरण किया गया है।
- 6.. वह रीति लिखिए जिसमें प्रविष्टि परिवर्तित की जानी चाहिए।
- 7.. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अधिकर्ता के हस्ताक्षर।
- 8.. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -30
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 35 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वाराया व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं में से किसी के द्वारा आवेदन।

(धारा 50(1) (ख) और नियम 88(1))

(आवेदन के लिए आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

¹ -----द्वारा जो कि -----⁴के बारे में -----वर्ग
में रजिस्ट्रीकृत -----³संख्या/ संख्याओं वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का/के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी²/
रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता हैं -----⁶के बारे में व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में -----
को)⁵ के ऊपरवर्णित रजिस्ट्रीकरण/ रजिस्ट्रीकरणों में की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन के लिए आधार साथ वाले कथन में ऊपरवर्णित है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

7 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁸ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का या आवेदकों का नाम और पता भरिए।
2. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
3. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्रारूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
4. जैसा विनिर्देश रजिस्टर में है, वैसा यहाँ दीजिए।

5. जिस रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता विषयक प्रविष्टि को रद्द करना चाहा गया है, उसका पूरा नाम और पता दें।
6. वे माल या सेवाएं लिखित जिसकी बाबत 6 में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता रजिस्ट्रीकृत हैं।
7. हस्ताक्षर
8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -31
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 36 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक के रद्दकरण के लिए आवेदन।

(धारा 50(1) (ग) 50 (1) (घ) और नियम 88(1))

(आवेदन के लिए आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

² ----- के नाम में ----- वर्ग में रजिस्ट्रीकृत -----

¹ संभ्या/ संभ्याओं वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों का/के विषय में ⁵ ----- के बारे में व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में ----- ⁴ की जो प्रविष्टि ऊपर उल्लेखित रजिस्ट्रीकरण/ रजिस्ट्रीकरणों में है उसको रद्द कराने के लिए ----- ³ द्वारा आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन के आधार, जिनकी विशिष्टियाँ मामले के साथ वाले कथन में व्यौरें से दी गई हैं, ⁶ ----- हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संस्चूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

7 -----
हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
----- ⁸ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अतिरिक्त संभ्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्रारूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरिए।
3. रद्द कराने वाले आवेदक का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता भरिए।
4. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का वह नाम, पता और वर्णन जो रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, उसे यहाँ भरिए।
5. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का जिस माल या सेवाओं के बाबत रजिस्ट्रीकरण हुआ है, वह माल या सेवा लिखिये।

6. धारा 50 (1) के खंड (ग) के उपखंडों में से एक या अधिक उपखंड यहाँ लिखें।
7. हस्ताक्षर
8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

ग्रास्प व्यापार चिन्ह -32
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक प्रविष्टि को परिवर्तित या रद्द करने के लिए कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने के आशय की सूचना।

(नियम 90(2))

(मध्यक्षेप करने के आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

1----- के नाम में----- वर्ग में रजिस्ट्रीकृत संख्या-----

वाले व्यापार चिन्ह के बारे में।

और

चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता के रूप में तद्वीन-----²के रजिस्ट्रीकरण के विषय में।

मैं/हम-³-----उपर्युक्त विषय संबंधी कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने के अपने आशय की सूचना देताहूँ/ देते हैं।

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी संस्चूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

⁴-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁵ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरिए।
2. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम और पता भरिए।
3. सूचना देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिए।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति के या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. जिस रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता विषयक प्रविष्टि को रद्द करना चाहा गया है, उसका पूरा नाम और पता दें।
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -33
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 38 और नीचे पाद टिप्पण देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/ रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम या वर्णन परिवर्तित करने के संबंध में

रजिस्टर में प्रविष्ट करने के लिए प्रार्थना।

(धारा 58 और नियम 91 और 97)

मैं/ हम¹ ----- प्रार्थना करता हूँ/ है कि मेरा/ हमारे नाम और वर्णन -----
वर्ग में रजिस्ट्रीकृत संख्या/ संख्याओं³ -----³ वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के स्वत्वधारी/ स्वत्वधारियों/ के
रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता²/ उपयोक्ताओं के रूप में व्यापार चिन्ह रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए/ किए जायें।
मैं/ हम -----उक्त व्यापार चिन्ह के लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ उपयोक्ताओं के रूप में उक्त व्यापार चिन्ह³ का
उपयोग करने के लिए हकदार हूँ/ हैं।

उक्त व्यापार चिन्ह की वास्तविक स्वत्वधारिता में² उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ उपयोक्ताओं के रूप में परिवर्तन⁴ -----
-----के सिवाय नहीं है।

जो प्रविष्ट इस समय रजिस्टर में विद्यमान है, उसमें मेरा/ हमारे नाम और वर्णन निम्नलिखित रूप में है -----

इस अनुरोध की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ उपयोक्ताओं, स्वत्वधारी/ स्वत्वधारियों⁵ पर कर दी गई है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संस्चूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

⁶ -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁷ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का वर्तमान नाम और पता भरिए।
2. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
3. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्रारूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
4. वे परिस्थितियाँ लिखे जिनमें नाम में परिवर्तन हुआ है।

5. यदि लागू न हों, तो काट दें।
6. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
7. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

पाद टिप्पण : फीस प्रथम चिन्ह के लिए 1,000 रु. प्रत्येक अतिरिक्त संबंद्ध चिन्ह के लिए 500 रु. तथापि जहाँ कि नाम के बदलने या परिवर्तन के लिए आवेदन लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या भारत में विधि के अनुसार, कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किया जाता है, वहाँ कोई फीस देय नहीं होगी।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -34
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 39 और नीचे पाद टिप्पण देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्टर में कारोबार के भारत में मुख्य स्थान के या भारत में निवास के पते को या विदेश में उसके अपने देश में के पते में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना।

(धारा 58 और नियम 91,96 और 97)

-----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत-----¹ संख्या/ संख्याओं वाले व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के विषय में -----में/हम----- जो उपर्युक्त संख्याक्रियता व्यापार चिन्ह/ चिन्हों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी²/ उपयोक्ता-----हूँ/हैं, प्रार्थना करता हूँ/ करते हैं कि भारत में मेरे/हमारे कारोबार³ या निवास के मुख्य स्थान का पता ²या विदेश में के उस देश का मेरा /हमारा पता बदल कर-
-----कर दिया जाए।

20-----के-----मास के -----वें दिन को-----
-----ने पते के परिवर्तन के लिए आदेश दिया था। आदेश की शासकीय रूप से प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

इस प्रार्थना की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी²/ उपयोक्ता पर हो चुकी है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संस्चूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

5-----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁶ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में प्रारूप की पीठ पर दी जा सकेंगी।
2. जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
3. यदि लागू न हों, तो काट दें।
4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उपयोक्ता के अभिकर्ता के हस्ताक्षर
5. परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी कानाम और आदेश की तारीख भरिए।
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -35
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 200रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्टर में व्यापार चिन्ह विषयक प्रविष्टि को रद्द कराने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन।
(धारा 58 (1)(ग) और नियम 97)

(आवेदन के लिए आधारों के तीन प्रतियों में कथन के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)

-----वर्ग के----- संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में
रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम -----रजिस्टर में यथा प्रविष्ट पता-----पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकृत
स्वत्वधारी द्वारा आवेदन किया जाता है, कि -----वर्ग में व्यापार चिन्ह संख्या-----
-----के व्यापार चिन्ह रजिस्टर में प्रविष्ट को रद्द कर दिया जाए।

उक्त व्यापार चिन्ह की वास्तविक स्वत्वधारिता में ²उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं के रूप में परिवर्तन ⁴-----
-----के सिवाय नहीं है।

2. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं पर आवेदन की एक प्रति की तामील की जा चुकी है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

2 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----³ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -36
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 200रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

जिन माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है उनमें से किसी माल के काटने के लिए व्यापार चिन्ह के
रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का आवेदन।

(धारा 58 (1) घ और नियम 97)

व्यापार चिन्ह सं.-----के विषय में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता-----
जिन माल या सेवाओं के लिए व्यापार चिन्ह संख्या-----वर्ग-----
रजिस्ट्रीकृत की गई है उनमें से¹-----के काटने के लिए पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन किया जाता है।
²इस आवेदन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता / उपयोक्ताओं पर हो चुकी है।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसचूनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

3-----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁴ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जो माल या सेवा काटी जाती है, उसका नाम दें।
2. यदि लागू न हों, तो काट दें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उपयोक्ता के अभिकर्ता के हस्ताक्षर
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरिए। (नियम 4 देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -37
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 7 दरिखए

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

कन्वेशन देश से किसी वर्ग या विभिन्न वर्गों के माल या सेवाओं (सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न)के श्रृंखला व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

(धारा 154 (2), और 15 (3) नियम 25 (11) 26 और 31)

(व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं। नियम 28 दरिखए।

²-----की बाबत ¹-----वर्ग के साथ लगे व्यापार चिन्ह का, रजिस्टर में ³-----के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴-----है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वायत्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं (और जिनके द्वारा उक्त चिन्ह में शीर्षक 6 में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है) या (और जिसके द्वारा और उसके पूर्ववर्ती द्वारा उक्त चिन्ह-----⁵से निरंतर उपयोग किया जा रहा है) रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

व्यापार चिन्ह को कन्वेशन देश में रजिस्टर करने के लिए आवेदन-----में तारीख-----को किया गया है। ऐसे कन्वेशन देश के, जिसमें आवेदन फाइल किया गया है, अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित, प्रमाणित प्रति (जिसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि उपरिवर्णित कन्वेशन देश में आवेदन के आधार पर व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन पूर्विकता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाये।

⁸-----

⁹-----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----

¹⁰-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----¹¹ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश लिया जा सकेगा।
2. उन माल या सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें जिनके संबंध में आवेदन किया गया है। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौंरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मर्दों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपर्दर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकारी के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकारी या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -38
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 43 और निम्नलिखित पाद टिप्पण देखिए।

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा धारा 59 (1) के अधीन आवेदन।
(नियम 98)

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

वर्ग में रजिस्ट्रीकृत संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में¹ -----
द्वारा, जो यथा उपर्युक्त संब्याकांतिक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का/के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं, उक्त व्यापार चिन्ह में
निम्नलिखित विशिष्टियाँ परिवर्धित या परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया जाता है, अर्थात्² -----

चिन्ह की उन रूपवाली पाँच प्रतियाँ इसके साथ फाइल की जाती है, जैसा कि वह ऐसे परिवर्तित कर दिए जाने पर होगा।

इस आवेदन की³ एक प्रति और ऐसे चिन्ह की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ उपयोक्ताओं पर पहले ही कर दी गई है
जैसा कि वह ऐसे परिवर्तित कर दिए जाने पर होगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁴ -----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

⁵ ----- में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिए।
2. पूरी विशिष्टियाँ भरिए।
3. यदि लागू न हों, तो काट दें।
4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसक अभिकर्ता के हस्ताक्षर
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखे - नियम 4 देखिए।

टिप्पण : फीस 2500रु., संबद्ध व्यापार चिन्हों की दशा में प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस 2500 रु., प्रत्येक अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए 1000रु। तथापि, उस दशा में, जिसमें कि चिन्ह परिवर्धन या परिवर्तन लोक प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप होता है, कोई फीस देय नहीं है।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -39
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए आवेदन के विरोध की सूचना
धारा 59 (2), (नियम 99 (2))

वर्ग में ----- के नाम में रजिस्ट्रीकृत ----- संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।

मैं/ हम¹ ----- उक्त संघांकित और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के परिवर्धन या परिवर्तन का विरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूँ/ हैं जिससे कि यह उस प्रारूप में होगा जैसा कि 2000 के----- मास के----- दिन के अंक----- वाली व्यापार चिन्ह पत्रिका (जर्नल) के पृष्ठ----- में विज्ञापित आवेदन में विज्ञापित है।

विरोध के आधार निम्नलिखित है-

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का ----- वाला कार्यालय उस व्यापार चिन्ह के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

3 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

² ----- में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय।

1. पूरा नाम और पता भरिए। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति का भारत में कारोबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है, तो भारत में तामील के लिए पता दिया जाना चाहिए।
2. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखे - नियम 4 देखिए।
3. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप व्यापार चिन्ह -40
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

**रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के स्वत्वधारी द्वारा विनिर्देश में संपरिवर्तन करने के लिए आवेदन ।
(नियम 101 (1))**

चतुर्थ अनुसूची के-----वर्ग में -----के नाम मेंरजिस्ट्रीकृत-----
----संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में ।

ऊपर वर्णित रजिस्ट्रीकरण के विनिर्देश को और तद्वीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/ उपयोक्ताओं के विनिर्देश/विनिर्देशों² को संपरिवर्तन करनेके लए, जो संपरिवर्तन व्यापार चिन्ह नियम,2002 की चतुर्थ अनुसूची में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गयाहै, आवेदन ऊपर संख्यांकित व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी¹-----द्वारा कियाजाता है।

संशोधन से पूर्व, उक्त अनुसूची के अनुसार, रजिस्टर में प्रविष्ट विनिर्देश -----है।

यह अनुरोध किया जाता है कि संशोधित अनुसूची के अनुसार, निम्नलिखित विनिर्देशों की प्रस्थापना रजिस्टर करें।

वर्ग-----

वर्ग-----

³इस आवेदन के प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता/उपयोक्ताओं पर कर दी गई है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-

तारीख -----

⁴-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

⁵-----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता भरिए।
2. यदि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता नहीं है तो मोटे अक्षरों वाले शब्दों को काट दें।
3. यदि लागू न हो, तो काट दें।
4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखे - नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -41
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं.46 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

विनिर्देश संपरिवर्तित करने की प्रस्थापना का विरोध करने की सूचना।

धारा 60 (2), (नियम 101 (4))

(यह बात कि प्रस्थापित संपरिवर्तन धारा 60 की उपधारा (1) के प्रतिकूल किस भाँति होगा, दर्शित करने वाले कथन की तीन प्रतियों के साथ यह तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

-----के नाम में चतुर्थ अनुसूची के -----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत¹ -----
-----संख्या / संख्याओं वाले व्यापार चिन्ह / चिन्हों के विषय में।
में/ हम² -----उन/ उस व्यापार चिन्ह / चिन्हों के जिसका/ जिनका विज्ञापन 2000 के-----
मास के-----दिन के अंक-----वाली व्यापार चिन्ह पत्रिका (जर्नल) में-----
-----के पृष्ठ पर हुआ था, विनिर्देश /विनिर्देशों को संपरिवर्तित करने की प्रस्थापना काविरोध करने के अपने आशय की सूचना देता हूँ/
देता है।

विरोध के आधार निम्नलिखित है-

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का³ -----वाला कार्यालय उस व्यापार चिन्ह के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में
रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-
तारीख -----

4 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

-----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय।

1. एक से अधिक (संबद्ध व्यापार चिन्ह होने वाले) ऐसे व्यापार चिन्हों की संख्या, जिनकी बाबत एक ही प्रस्थापना की गई है उस दशा में दी जा सकेंगी जिसमें विनिर्देश एक ही हैं और चिन्ह संबद्ध है।
2. पूरा नाम और पता भरिए। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति का भारत में कारोबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है, तो भारत में तामील केलिए पता दिया जाना चाहिए।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखे - नियम 4 देखिए।
4. सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप व्यापार चिन्ह -42
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : फोस : पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं.47 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह का उपयोग शासित करने वाले जो विनियम निष्क्रिय किये गए हैं, उन्हें परिवर्तित करने या
संशोधित करने के निष्क्रिय को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध।

धारा 66 और 74 (2), (नियम 132 (क) और 140)

(आवेदन की दो प्रतियां और विनियमों की चार प्रतियां, जिनमें प्रस्थापित संशोधन परिवर्तन लाल रंग में दर्शित हैं, इसके साथ होंगी।)

¹ -----द्वारा जो कि ⁴ -----के बारे में -----वर्ग में
रजिस्ट्रीकृत ³ -----²संख्याओं वाले सामूहिक चिन्ह/ प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह/चिन्हों-----
का/के स्वत्वधारी हैं/ है उक्त चिन्हों के उपयोग को शासित करने वाले उन विनियमों को, जो निष्क्रिय हैं, उस
रूप में संशोधित या परिवर्तित करने के लिए, जैसा कि उनका संशोधित या परिवर्तित किये जाने के लिए प्रस्थापित रूप उन विनियमों की
साथ वाली प्रतियों में लाल रंग में दर्शित किया गया है, आवेदन किया जाता है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-
तारीख -----

⁵ -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

⁶ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय।

1. स्वत्वधारी का पूरा नाम और पते भरिए, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत है। स्वत्वधिकारियों के नाम और पते भरें जैसा कि रजिस्ट्रीकृत है।
2. यदि वे ही विनियम रजिस्टर में संबद्ध चिन्हों के रूप में प्रविष्ट सामूहिक चिन्हों या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्हों के एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण को लागू होते हैं, तो सभी रजिस्ट्रीकरणों की संख्याएं दी जानी चाहिए।
3. अतिरिक्त संख्याएं और विनिर्देश हस्ताक्षरित अनुसूची की पीठ पर दी जा सकती है।
4. क्रमिक रजिस्ट्रीकरणों के विनिर्देश लिखें।
5. हस्ताक्षर।
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें - नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -43
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

सामूहिक चिन्ह के रजिस्टर से हटाए जाने या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण को रद्द या परिवर्तन करने के लिए आवेदन ।
(धारा 68,77 नियम 133, 139)

-----के नाम में -----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत ----- संख्या वाले सामूहिक
चिन्ह/ प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के विषय में-----
-----में/हम¹-----परिवेदित व्यक्ति होने के
नाते रजिस्ट्रार से इस आदेश के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि-
2. ऊपर वर्णित सामूहिक चिन्ह/ प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह विषयक जो प्रविष्टि रजिस्ट्रर में है उसका 3 विलोप । परिवर्तन निम्नलिखित
रीति में कर दिया जाए ।
⁴मेरे /हमारे आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

मामले के कथन में जो इसके साथ भेजा जा रहा है उपर्याप्त तथ्य और विषेय मेरे/ हमारे सबोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के
अनुसार सत्य है ।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी :-
तारीख -----

⁵ -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

- ⁶ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय ।
1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरिए । यदि आवेदक का भारत में करोबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में
तामील के लिए पता भरा जाना चाहिए । नियम 18 देखिए ।
 2. दोनों में से जो पैरा लागू न हो उसे काट दें ।
 3. जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें ।
 4. यथास्थिति, धारा 68 या धारा 77 के खंड (क) से खंड (घ) तक में उपर्याप्त आधारों में से किसी को विनिर्दिष्ट करें ।
 5. हस्ताक्षर ।
 6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखे - नियम 4 देखिए ।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -44
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

विरोध की सूचना देने के लिए समय बढ़ाने हेतु आवेदन ।
(धारा 21(1)नियम 47 (6))

-----संख्या वाले आवेदन के विषय में।

मैं/हम¹ -----उस व्यापार चिन्ह के जिसका विज्ञापन 2000 के/की -----
मास के-----वें दिन की व्यापार चिन्ह पत्रिका में ऊपर वाली संख्या के अधीन-----
वर्ग के वस्तु हुआ था, रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने की सूचना देने के लिए -----² का समय बढ़ाने के लिए आवेदन
करता हूँ/ करते हैं।
यह आवेदन करने के लिए कारण निम्नलिखित है-----
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी³ :-
तारीख -----

4 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह
⁵ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय।

1. पूरा नाम और पता भरिए।
2. पत्रिका में आवेदन के यथास्थिति, विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख से तीन मास के उपरान्त वाली एक भाग से अनधिक वह कालावधि भरिये जितने के लिए समय बढ़ाना अपेक्षित है।
3. केवल तभी लिखा जाए जब दिया गया पता भारत का पता नहीं है।
4. हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखे - नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -45
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

किसी कन्वेशन देश से अत्यधिक रूप से अक्षर या अंको वाले टैक्सटाइल व्यापार चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।
(धारा 18 (1), और 54 (2) नियम 25 (6), 26 144 और 145)

(व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में भरा जाए)एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

²-----की बाबत ¹-----वर्ग के साथ लगे व्यापार चिन्ह का, रजिस्टर में ³-----
-----के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴----- है और जो उक्त माल या
सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वायत्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं (और जिनके द्वारा उक्त चिन्ह में शीर्षक 6 में उपयोग किया
जाना प्रस्तावित है) या (और जिसके द्वारा और उसके पूर्ववर्ती द्वारा उक्त चिन्ह-----⁵से निरंतर उपयोग किया जा
रहा है) रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया जाता है।

व्यापार चिन्ह को कन्वेशन देश में रजिस्टर करने के लिए आवेदन-----में तारीख-----को
किया गया है।ऐसे कन्वेशन देश के, जिसमें आवेदन फाइल किया गया है, पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रमाणित प्रति(जिसके अंग्रेजी
अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेशन देश में ऊपर उल्लेखित
आवेदन के आधार पर पूर्ववक्ता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

⁸-----
⁹-----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----

¹⁰-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----¹¹ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौंरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया हैं तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -46
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 51,52, और 53 दण्डिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध।

(धारा 137या 148 (2) ,नियम 119 और 120)

वर्ग/ वगों में रजिस्ट्रीकृत-----संख्या वाले व्यापार
चिन्ह के विषय में ।

मैं/ हम² -----रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि इस आशय का कि⁴ -----
अपना प्रमाणपत्र¹ की प्रमाणित प्रति-----व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण
का प्रमाणपत्र-----⁵में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु/ मुझे हमें दें।
प्रमाण पत्र / प्रमाणित प्रति भारत में निम्नलिखित पते (6) पर भेजी जाए।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----

7

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁸ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अन्य मामलों में ठीक बैठाने के लिए इन शब्दों को बदला जा सकेगा।
2. अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।
3. जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
4. वे विशिष्टियाँ दें जिन्हें प्रमाणित करने के लिए रजिस्ट्रार अपेक्षित है या उस दस्तावेज की विशिष्टियाँ दें जिसकी प्रमाणित प्रति अपेक्षित है।
5. देश या राज्य का नाम भरें।
6. केवल तभी लिखा जाए जब इसमें दिया गया पता, भारत का पता न हों।
7. हस्ताक्षर।
8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -47
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 200रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

अपील बोर्ड द्वारा दिए गए मान्यता प्रमाणपत्र विषयक टिप्पण को रजिस्टर में प्रविष्ट करने और उसका विज्ञापन करने के लिए प्रार्थना।
(धारा 141, नियम 124)

¹----- के नाम में -----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत-----संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।

मैं/हम-----रजिस्ट्रार से प्रार्थना करता हूँ/ करते हैं कि रजिस्ट्रार इस आशय का एक टिप्पण की अपील बोर्ड ने ²-----में यह प्रमाणित किया है कि उक्त रजिस्ट्रीकरण की मान्यता प्रश्नास्पद हुई और मान्यता का व्यापार चिन्ह के स्वत्वधारी के पक्ष में उन शब्दों में विनिश्चय हुआ जो कि मान्यता प्रमाणपत्र की साथ वाली शासकीय प्रमाणित प्रति में दिए हुए हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-
तारीख -----

³-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁴में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता भरिए।
2. जिन कार्यवाहियों में प्रमाणपत्र दिया गया था, उनकी प्रकृति, उनमें के पक्षकारों के नाम सहित भरिए।
3. हस्ताक्षर
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें-----नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -48
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रारूप
(धारा 145 और नियम 21 देखिए)

(तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार स्टांपित किया जाए)

मैं/हम¹ -----³-----के लिए मेरे /हमारे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए -----
के -----²को प्राधिकृत करता हूँ/ करते हैं और यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि
तत्संबंधी सभी सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं ऐसे अभिकर्ता का उपर्युक्त पते पर भेजी जाएं।
मैं/हम इस कार्यवाही विषयक सभी पूर्ववर्ती प्राधिकारों को, यदि कोई हों, प्रतिसंहत करता हूँ/ करते हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----⁴-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁵ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता और राष्ट्रीयता भरें- नियम 16 देखिए।
2. अभिकर्ता (विधि व्यवसायी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या अभिकर्ता की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति के एकमात्र और नियमित नियोजन में के व्यक्ति) का पूरा नाम और उसका पता भरें।
3. यदि ज्ञात हो तो निर्देश संख्या देते हुए, उस विशिष्ट विषय या कार्यवाही को कथित करें, जिसके लिए अभिकर्ता की नियुक्ति की गई है।
4. अभिकर्ता की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें-----नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -49
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

विनियमों का प्रारूप
(धारा 63, 71 और नियम 128 (1), 134 (1))

² -----के बारे -----सामूहिक चिन्ह संख्या-----¹प्रमाणीकरण

व्यापार चिन्ह संख्या के उपयोग को शासित करने के लिए विनियम
(शासकीय उपयोग के लिए)

व्यापार चिन्ह पत्रिका के-----अंक के-----वें पृष्ठ पर-----
के/की-----मास के-----दिन को विज्ञापित

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-
(आवेदन और रजिस्ट्रीकरण की तारीख -----2000)

1. जो लागू न हों, उसे काट दें।
2. यहाँ माल या सेवाओं का विनिर्दिष्ट करें।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -50
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : पहली अनुसूची की प्रविष्ट सं. 40 और 41 दण्डिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के जिस रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का भारत में कारोबार का मुख्य स्थान नहीं है, उसके द्वारा अपना वह पता, जैसे उसका भारत में तामील के लिए है, अपने रजिस्ट्रीकरण के भाग स्वरूप प्रविष्ट, परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के लिए की जानेवाली प्रार्थना का प्रारूप।

(नियम 91,96,97)

¹ ----- जो कि ----- वर्ग में रजिस्ट्रीकृत-----³ संख्या वाले व्यापार चिन्ह/चिन्हों का रजिस्ट्रीकृत² स्वत्वधारी उपयोक्ता हैं, इस दृष्टि से तत्संबंधी (चिन्हों का भारत में तामील के लिए पते में यह⁴ जोड़ने या उसे परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के लिए कि भारत में तामील का पता-⁵ -----पढ़ा जाये, प्रार्थना करता है।)

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----
⁶ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁷ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहाँ अनुरोध करने वाले व्यक्ति का पूरा और पता भरें।
2. यथास्थिति, 'स्वत्वधारी' या 'उपयोक्ता' शब्दों में से एक को काट दें।
3. (जहाँ कि चिन्ह रजिस्टर में संबद्ध व्यापार चिन्हों के रूप में प्रविष्टि हैं वहाँ) अतिरिक्त संख्याएं हस्ताक्षरित अनुसूची में इस प्रारूप में पीछे दी जाए।
4. जो शब्द लागू न हों, उसे काट दें।
5. यहाँ वास्तविक प्रविष्टि या वांछित परिवर्तित प्रविष्टि भरें।
6. हस्ताक्षर।
7. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। (नियम 4 देखिए)।

टिप्पण - जिस रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का भारत में तामील के लिए पता लोक प्राधिकारी द्वारा इस लिए बदल जा चुका है ताकि परिवर्तित पते से पहले वाले ही परिसर इंगित होते हैं वहाँ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता इस के लिए फीस का संदाय करने से बचा जा सके इस बात का कथन भी इस प्रारूप के पीछे दिए गए स्थान में कर सकेगा।
(इस प्रारूप के पीछे व्यक्त हों)

केवल उस दशा में उपयोग में लाए जाने के लिए हैं जिसमें कि भारत में तामील के लिए पता परिसर से कोई परिवर्तन हुए बिना, लोक प्राधिकारी द्वारा बदला जाता है।

भारत में तामील के लिए पते में जिस परिवर्तन की प्रविष्ट करने के लिए आवेदन इस प्रारूप की दूसरी तरफ किया गया है उस परिवर्तन के लिए आदेश¹ -----द्वारा तारीख-----को दिया गया था। आदेश की एक शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ भेजी जाती है।

तारीख-

²

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का
नाम स्पष्ट अक्षरों में

- परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और आदेश देने की तारीख यहाँ भरें।
- हस्ताक्षर।

टिप्पण : यदि उपर्युक्त कथन किया जाए और परिवर्तन नामित प्राधिकारी के लिए जिस आदेश से आवश्यक हो गया है उसकी शासकीय प्रमाणित प्रति दी जाए, यदि रजिस्ट्रार का समाधान उस मामले के तथ्यों के संबंध से हो जाता है, तो प्रारूप व्या.चि. 50 में दी जानीवाली कोई फीस देने की मँग न करना। (नियम 63 (3) देखिए)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -51
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500रु. प्रत्येक वर्ग के लिए

अधिकारी का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

माल या सेवाओं (सामूहिक चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से मिश्र) के विभिन्न वर्गों के व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।
(धारा 18 (2), नियम 25 (9) और 103)

(व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए) एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

-----³के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴ है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वात्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव⁵ है और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह के शीर्षक -----में उसके / उनके पूर्ववर्ती / पूर्ववर्तियों द्वारा उक्त माल या सेवाओं⁷ की बाबत-----⁵ से निरंतर उपयोग किया जा रहा है) निम्नलिखित है :-

- (i) -----वर्ग 1-----की बाबत 2
(ii) -----वर्ग 1-----की बाबत 2
(iii) -----वर्ग 1-----की बाबत 2

व्यापार चिन्ह के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

-----⁸

-----⁹

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----

-----¹⁰

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----¹¹ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

- यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
- जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए।

इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। नियमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, नियमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया हैं तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकार्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकार्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -52
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500रु. प्रत्येक वर्ग के लिए

अधिकारी का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

कन्वेंशन देश से माल या सेवाओं (सामूहिक व्यापार चिन्ह या प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न) के विभिन्न वर्गों के व्यापार चिन्ह
रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

(धारा 18 (2), नियम 25 (4) और 103)एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

-----³के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴ है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वायत्त्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव⁵ है और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह के शीर्षक या-----⁶में उसके / उनके पूर्ववर्ती / पूर्ववर्तियों द्वारा उक्त माल या सेवाओं⁷की बाबत-----से निरंतर उपयोग किया जा रहा है) निम्नलिखित है :-

- (iv) -----वर्ग 1-----की बाबत 2
(v) -----वर्ग 1-----की बाबत 2
(vi) -----वर्ग 1-----की बाबत 2

व्यापार चिन्ह को कन्वेंशन देश में रजिस्टर करने के लिए आवेदन-----में तारीख-----को किया गया है। ऐसे कन्वेंशन देश के, जिसमें आवेदन फाइल किया गया है, पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रमाणित प्रति(जिसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेंशन देश में ऊपर उल्लेखित आवेदन के आधार पर पूर्वक्ता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

⁸ -----

⁹ -----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----

¹⁰ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----¹¹ में
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

2. जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौंरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया हैं तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए। और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकारी के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकारी या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -53
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : प्रभाजन फीस धन समुचित वर्ग फीस के रूप में 1000रु.

प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 68 देखिए।

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

**माल या सेवाओं के विभिन्न वर्गों के लिए किए गए एकल आवेदन या किसी आवेदन के प्रभाजन के लिए अनुरोध
धारा 22 का परन्तुक नियम 104**

(चिन्ह के तीन अतिरिक्त समाकृतियों सहित तीन प्रतियों में भरा जाए)

-----को फाइल-----के नाम में-----वर्ग में-----
-----संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में।
मै/हम¹ -----रजिस्ट्रार से प्रार्थना करता हूँ/ हैं कि वर्ग -----से -----
-----में, या निम्नलिखित वर्ग या वर्गों में-----वर्ग/वर्गों² से एकल आवेदन के प्रभाजन के लिए या नीचे
यथाउपर्दर्शित-----वर्ग में माल या वस्तुओं के विनिर्देश को प्रभाजित करने के लिए आवेदन संख्या-----
-----को प्रभाजित किया जाए।

रजिस्ट्रार के आदेश की एक प्रति प्रार्थना पर भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

4 -----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

³ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. आवेदक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।
2. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं और वर्ग या वर्गों को उल्लेखित करें जिन्हें उपरली संख्यात्मक क्रम में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।
4. आवेदक या अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के हस्ताक्षर)

प्रारूप व्यापार चिन्ह -54
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : 500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

नियम 24 (1) के अधीन तलाशी के लिए प्रार्थना।

रजिस्ट्रार से नियम 24 (1) के अधीन प्रार्थना की जाती है कि वह -----वर्ग में¹ -----
-----²की बाबत तलाशी यह अभिनिश्चित करने के लिए करें कि क्या कोई ऐसे व्यापार चिन्ह अभिलेख में विद्यमान हैं, जो तीन प्रतियों में भेजे गए व्यापार चिन्ह के, जिसमें से प्रत्येक समाकृति मजबूत कागज के ऐसे पृष्ठ पर मढ़ी होगी जो आकार में लगभग 33 सेंटीमीटर * 20 सेंटीमीटर की हों, सदृश हैं।

इस आवेदन से संबंधित संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

3 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

⁴ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि वर्ग ज्ञात न हो तो रजिस्ट्रार का निदेश अभिप्राप्त कियाजा सकेगा।
2. वे माल या सेवाएं (कथित वर्ग) में विनिर्दिष्ट करें जिनकी बाबत तलाशी ली जानी है।
3. हस्ताक्षर
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -55
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1955

फीस : 1000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन करने की प्रस्थापना जिस व्यक्ति ने की हैं, सुभिन्नता करने के बारे में रजिस्ट्रार की प्राथमिक सलाह अभिप्राप्त करने के कारण उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थना।

[धारा 133 (1) नियम 23]

मैं/ हम¹ -----रजिस्ट्रार से प्रार्थना करता हूँ/ करते हैं कि मुझे/ हमें वह इस बाबत सलाह दे कि क्या साथवाले व्यापार चिन्ह² की बाबत उसे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि वह मेरे/ हमारे माल या सेवाओं को दूसरी वस्तुओं से सुभिन्नता दिखाने के लिए है।

जिन मालों या सेवाओं की बाबत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की मेरी/ हमारी प्रस्थापना है वे-----वर्ग वाली-----³ है।

रजिस्ट्रार की सलाह भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

⁴ -----

तारीख -----

⁵ -----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

⁶ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

- पूरा नाम और पता लिखें।
- तीन प्रतियों में भेजे, प्रत्येक समाकृति मजबूत कागज के ऐसे पृष्ठ पर मढ़ी होगी जो आकार में लगभग 33 सेटीमीटर * 20 सेटीमीटर की हों।
- यहाँ माल या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। एक ही वर्ग वाले माल या सेवाएं विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक आवेदन अपेक्षित है।
- केवल तभी लिखें जब दिया गया पता भारत में किसी स्थान का नहीं है।
- हस्ताक्षर
- व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

पाद टिप्पण :- यदि और जब आवेदन व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किया जाता है, और यदि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के अभिलेखों में ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं तो उसके समान हैं, या इतने समरूप हैं कि धोखा हो जाए तो आपत्ति की जा सकेगी। ऐसे सुसंगत चिन्हों की पूर्वतर अधिसूचना (उस दशा में यदि वे पाये जाते हैं) रजिस्ट्रार से प्रारूप व्या.चि.54 पर किए गए अनुरोध पर अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -56
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

ऐसे समय के (जो अधिनियम में स्पष्टतया उपबंधित समय या नियम 79 द्वारा या नियम 80(4) के द्वारा विहित समय नहीं हैं) या ऐसे समय के जिसके बढ़ाने के लिए उपबंध नियमों में किया गया है, बढ़ाने के लिए आवेदन।

[धारा 131 नियम 106]

¹ ----- के विषय में।
² मैं/ हम ----- जो उक्त मामले में ----- हूँ/ हैं
----- ³के लिए ----- ⁴के समय बढ़ाने के लिए आवेदन निम्नलिखित आधारों पर करता हूँ/
करते हैं-----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

⁵ -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,
⁶ ----- में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहाँ वे शब्द और निर्देश संग्बाधरिए जिनसे उस विषय का पता चल जाता है, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है।
2. पूरा नाम और पता लिखें।
3. अपेक्षित विस्तार की कालावधि लिखिए।
4. वह प्रयोजन लिखिए जिसके लिए समय बढ़ाना अपेक्षित है।
5. हस्ताक्षर
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -57
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन।

[धारा 127 (ग) नियम 115]

(तीन प्रतियों में कथन के साथ इसे तीन प्रतियों में फाइल किया जाए - नियम 115 देखिए)

¹ -----के विषय में।

मैं/ हम² -----जो उक्त मामले में -----हूँ/ हैं, उक्त मामले में
2000 के -----मास के -----³ दिन वाले रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन
करने के लिए उनसे आवेदन करता हूँ/ हैं।

इस आवेदन को करने के लिए आधार साथ वाले कथन में दिए हुए हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

³ -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

⁴ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहाँ वे शब्द और निर्देश संख्या भरिए जिनसे उस विषय का पता चल जाता है, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है।
2. पूरा नाम और पता लिखें।
3. हस्ताक्षर
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -58
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 250रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

चिन्ह के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध - नियम 46

मैं/ हम -----¹ अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मुझे /हमें जर्नल के उस अंक, तारीख और पृष्ठ की जानकारी दी जाए जिनका रजिस्ट्रीकरण-----संख्या वाले आवेदन से -----के नाम में चाहा गया है,-----नाम विज्ञापित है।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-
² -----

तारीख -----

³ -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,
⁴ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता लिखें।
2. हस्ताक्षर
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -59
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी या अन्य प्रति के लिए अनुरोध।

[नियम 62 (3)]

(यदि आवेदक के विज्ञापन के लिए लेबल दिया था, तो इस प्रारूप के साथ चिन्ह की एक बेमढ़ी ठीक वैसी ही समाकृति होनी चाहिए जैसी कि रजिस्ट्रीकरण के समय आवेदन के प्रारूप में संदर्भित की गई थी।)

मैं/ हम¹ -----रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि यह मुझे/ हमें रजिस्टर के -----वर्ग में रजिस्ट्रीकृत-----संख्या वाले मेरे/ हमारे व्यापार चिन्ह की बाबत धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन मुझे/ हमें दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र² की दूसरी प्रति/¹ अन्य प्रति दें।

प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति/ अन्य प्रति भारत में मेरे/ हमारे निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

-----³

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,
⁴ -----में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय
1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता लिखें।
2. जो लागू न हो उसे काट दें।
3. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
4. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -60
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 5000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

नियम 24 (3) और 32 के अधीन तलाशी और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध।

रजिस्ट्रार से नियम 24 (3) के अंतर्गत यह पता लगाने के लिए तलाशी का अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिन्ह अभिलेख पर हैं जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजी गई कलाकृति के सदृश है (प्रत्येक कलाकृति कार्य लगभग 30*20 सें.मी. के आकार में मजबूत कागज की शीट पर मढ़ा जाए) और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अधीन उसके उपयोग के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

1 -----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,
²मुंबई स्थित व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. हस्ताक्षर
2. नियम 8 (2) (ग) देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -61
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 500 अक्षरों से अधिक प्रत्येक अक्षर के लिए 10 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

500 अक्षरों से अधिक में माल या सेवाओं के विनिर्देश को सम्मिलित करने के लिए नियम 25 के उपनियम (16) के अधीन आवेदन।

मैं/ हम¹ ----- वर्ग की ----- संख्या के अधीन
व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन होने के फलस्वरूप नियम 25 के उपनियम 16 के अधीन 500 अक्षरों की अधिकता
में 10 रु. प्रति अक्षर की दर पर अधिक स्थान के लिए -----रु. फीस की राशि प्रस्तुत करता हूँ /हैं।
मैं/ हम उपरोक्त आवेदन के अंतर्गत अधिक अक्षरों की संख्या का उल्लेख करता हूँ/ करते हैं जो----- हैं।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

²

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,
³ ----- में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय
1. आवेदक का पूरा नाम और पता लिखें।
2. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -62
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.

स्वायत्वधारी का कोड सं.

प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के समनुदेशन या पारेषण के लिए धारा 43, नियम (140 (2)) के अधीन रजिस्ट्रार की सहमति के लिए आवेदन।

(समनुदेशन के प्रारूप विलेख की तीन प्रतियों के साथ या किसी शपथपत्र और शपथापत्र की दो प्रतियों में फाइल किया जाए।)

मैं/ हम¹ ----- वर्ग की रजिस्ट्रीकृत-----

----- व्यापार चिन्ह प्रमाण पत्र की संख्या ----- के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होने के नाते -----²को उपरोक्त व्यापार चिन्ह प्रमाणन के समनुदेशन या पारेषण के लिए रजिस्ट्रार की सहमति के लिए आवेदन करते हैं।

³प्रस्तावित समनुदेशन का प्रारूप विलेख इसके साथ प्रेषित है।

³वे परिस्थितियां जिनके अधीन शपथपत्र के साथ पारेषण हुआ है, संलग्न शपथपत्र में उपर्याप्त हैं।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

----- तारीख -----

-----⁴ -----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

⁵ ----- में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का पूरा नाम और पता लिखें।
2. प्रस्तावित अंतरिती का नाम, पता और राष्ट्रीयता का वर्णन करें।
3. यदि किसी विशिष्ट मामले में अपेक्षित न हों तो इन पैरों में से किसी एक को हटा दें।
4. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।
5. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें- नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -63
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फोस : 12,500 रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण की शीघ्र परीक्षा के लिए नियम आवेदन।

[नियम 8 (ग), 38 (1)]

-----को फाइल किए गए -----वर्ग में-----
-----आवेदन संख्या के विषय में।

मैं/हम ऊपर उल्लेखित आवेदन की बाबत शीघ्र परीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूँ/ हैं। अनुरोध के लिए कारण संलग्न घोषणा में उल्लेखित हैं।

इस आवेदन से संबंधि सभी संसूचनाएं भारत में मेरे /हमारे निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी :-

तारीख -----

1 -----

हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,
मुंबई में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय
6. हस्ताक्षर।
7. नियम 8 (2)(ड) देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -64
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 10,000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

धारा 154 (2) नियम 128(1) के अधीन कन्वेशन देश से किसी वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए सामूहिक व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 63 (1) के अधीन आवेदन।

(प्रारूप व्या.चि.- 49 के साथ प्रारूप विनियम की तीन प्रतियो के साथ तीन प्रति में फाइल किया जाए)

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

¹ _____ की बाबत _____ ² वर्ग में साथ लगे व्यापार चिन्ह
के रजिस्टर में _____ ³ के नाम में _____ -जिनका पता _____
_____ ⁴ हैं, में सामूहिक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया
जाता है।

सामूहिक चिन्ह को रजिस्टर करने के लिए देश में आवेदन _____ को किया गया
है।

उस कन्वेशन देश के, पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई, एक प्रमाणित प्रति जिसमें अनुवाद फाइल किया गया (जिसके अंग्रेजी
अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेशन देश में ऊपर⁵
उल्लेखित आवेदन के आधार पर पूर्विकता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख _____

⁵ _____

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

_____ ⁶ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

- यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिग्राप्त किए जा सकते हैं।
- जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
6. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -65
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 10,000₹.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

कन्वेशन देश से किसी वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 71 के अधीन आवेदन।

धारा 154 (2) नियम 25(8) (ख) और 135 (1)

(प्रारूप व्या.चि.- 49 के साथ प्रारूप विनियम की तीन प्रतियो के साथ तीन प्रति में फाइल किया जाए) एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

¹ -----की बाबत -----²वर्ग में साथ लगे प्रमाणन
व्यापार चिन्ह के रजिस्टर में-----³के नाम/ नामों में-----
जिनका पता -----⁴हैं, और उक्त माल की बाबत उसका
स्वत्वधारी होने का दावाकरता हैं/ करते हैं, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। आवेदक किसी भी ऐसे प्रकार के माल
या सेवाओं का कारोबार नहीं कर रहा हैं जिसके लिए व्यापार चिन्ह का उक्त प्रमाणपत्र का रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

⁵ -----⁶-----
व्यापार चिन्ह को रजिस्टर करने के लिए देश में आवेदन -----⁷को किया गया
है।

उस कन्वेशन देश के, पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई, एक प्रमाणित प्रति जिसमें अनुवाद फाइल किया गया (जिसके अंग्रेजी
अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेशन देश में ऊपर⁸ उल्लेखित आवेदन के आधार पर पूर्विकता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----⁷-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----⁸ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

- यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
- जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए।

इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिंदेश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया हैं तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हों, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त विषय के लिए खाली छोड़ दें।
6. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपर्युक्त करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह हैं तो उस आशय का कथन किया जाना चाहिए।
7. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -66
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 10,000रु. प्रत्येक वर्ग के लिए

अधिकारी का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

विभिन्न वर्गों के लिए सामूहिक व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।
(धारा 18 (2), 63 (1), नियम 25 (17),(क) 103 और 128 (1))

एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

-----³के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴ है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वात्वधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव⁵ है और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह के शीर्षक या-----⁶में उसके/उनके पूर्ववर्ती / पूर्ववर्तियों द्वारा उक्त⁷माल या सेवाओं की बाबत-----से निरंतर उपयोग किया जा रहा है) निम्नलिखित है :-

- (i) -----वर्ग 1-----की बाबत 2
(ii)-----वर्ग 1-----की बाबत 2
(iii)-----वर्ग 1-----की बाबत 2

सामूहिक व्यापार चिन्ह के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया गया है।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

8-----

तारीख -----

10-----

सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----¹¹ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
2. जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार नहीं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हों, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अधिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अधिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -67
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 10,000₹. प्रत्येक वर्ग के लिए

अधिकारी का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

कन्वेशन देश से विभिन्न वर्गों के लिए सामूहिक व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।

(धारा 18 (2), 63 (1), 154 (4), नियम 25 (17),(ख) 103और 128 (1))

(सामूहिक व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों औरप्रारूप व्या. चि.-49 में प्रारूप विनियम की तीन रपतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

-----³के नाम/नामों में, जिसका/जिनका पता-----⁴ है और जो उक्त माल या सेवाओं के संबंध में उनका/ उनके स्वातंत्र्यधारी होने का दावा करता है/करते हैं और जिनके द्वारा उक्त चिन्ह का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव⁵ है और जिसके द्वारा उक्त चिन्ह के शीर्षक -----⁶में उसके / उनके पूर्ववर्ती / पूर्ववर्तियों द्वारा उक्त ⁷माल या सेवाओं की बाबत-----रे निरंतर उपयोग किया जा रहा है) निम्नलिखित है :-

- (ii) -----वर्ग 1-----की बाबत 2
(ii)-----वर्ग 1-----की बाबत 2
(iii)-----वर्ग 1-----की बाबत 2

सामूहिक व्यापार चिन्ह के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया गया है।

-----³ के नाम जिनका पता ⁴ है।

कन्वेशन देश में -----पर व्यापार चिन्ह कोरजिस्टर करने के लिए पहला -----आवेदन-----को किया गया है।

उस कन्वेशन देश के, पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई, एक प्रमाणित प्रति जिसमें अनुवाद फाइल किया गया (जिसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ) संलग्न है।

मैं/ हम यह अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि व्यापार चिन्ह, अधिनियम की धारा 154 के उपबंधों के अधीन कन्वेशन देश में ऊपर उल्लेखित आवेदन के आधार पर पूर्विकता तारीख के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

-----⁸

तारीख -----

-----⁵

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
2. जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।
3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। नियमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, नियमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौंरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया हैं तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा हैं जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हों, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. यदि चिन्ह पहले से ही उपयोग में है तो काट दें।
6. यदि लागू नहीं हैं, तो शब्दों को काट दें। यदि हम पूर्वाधिकारी/ पूर्वाधिकारियों द्वारा उपयोग का दावा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम/नामों का, आवेदक द्वारा स्वयं आरंभ करने की तारीख के साथ कथन किया जाना चाहिए।
7. यदि 2 में विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं को बाबत व्यापारचिन्ह का कोई उपयोग नहीं है तो माल या सेवाओं को ऐसी मदों का, जिनकी बाबत चिन्ह को वास्तव में उपयोग किया गया है, कथन किया जाना चाहिए।
8. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
9. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
10. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
11. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -68
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 10,000रु. प्रत्येक वर्ग के लिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्वधारी का कोड सं.

विभिन्न वर्गों के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन।
(धारा 18 (2), 71, नियम 25 (18),(क) 103और 135)

(सामूहिक व्यापार चिन्ह की पाँच अतिरिक्त समाकृतियों और प्रारूप व्या. चि.-49 में प्रारूप विनियम की तीन रपतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए)एक समाकृति इस स्थान के भीतर लगायी जाए और अन्य पाँच पृथक रूप से भेजी जाए। बड़े आकार की समाकृति को मोड़ा जा सकेगा किन्तु तब उसे किसी वस्त्र या अन्य समुचित सामग्री के ऊपर लगाकर यहाँ चिपकाया जाना चाहिए और इसके साथ लगाएं।

(नियम 28 देखिए।)

1. निम्नलिखित में प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के साथ रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन किया गया है।
(i)-----वर्ग 1-----की बाबत 2
(ii)-----वर्ग 1-----की बाबत 2
(iii)-----वर्ग 1-----की बाबत 2

-----³का/के नाम जिसका पता ⁴-----
--हैं।

आवेदक ऐसे किसी प्रकार के माल यासेवाओं का कारोबार नहीं कर रहा हैं/ रहें हैं जिसके लिए उक्त प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

- 5.-----
6.-----

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

7-----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में
सेवामें,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----⁸ में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि माल या सेवा का वर्ग ज्ञान नहीं है तो रजिस्ट्रार का निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
2. जिस वर्ग की बाबत आवेदन किया गया है उस वर्ग के लिए वस्तु या सेवाएं विनिर्दिष्ट करें। माल या सेवाओं की बाबत एक पृथक शीट का उपयोग किया जा सकता है। माल या सेवाओं के विनिर्देश में सामान्यतः 500 से अधिक अक्षर होने चाहिए। इस सीमा से अधिक अक्षर होने पर 10 रु. प्रति अक्षर की अधिक स्थान फीस संदेय होगी। नियम 25(16) देखिए। जहाँ माल या सेवाओं का विनिर्देश 500 अक्षरों से अधिक का हैं वहाँ आवेदक को, हस्ताक्षर से तुरंत पहले अधिक अक्षरों की ठीक संख्या का कथन करना होगा।

3. आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (व्यावसाय और आजीविका) और राष्ट्रीयता, सुपाठ्य रूप से अंतः स्थापित करें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन के देश या फर्म को बनाने वाले भागीदारों के नामों का ब्यौरा तथा रजिस्ट्रीकरण की, यदि कोई हो, प्रकृति का कथन किया जाना चाहिए। नियम 16 देखिए।
4. आवेदक को भारत में अपने कारोबार के प्रधान स्थान का, यदि कोई हो, कथन करना होगा। नियम 3 और 17 देखिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है, जिसके लिए भारत में केवल एक स्थान पर रजिस्ट्रीकरण किया गया है तो ऐसे तथ्य को कथन करना चाहिए और स्थान का पता देना चाहिए। यदि आवेदक ऐसे माल या सेवाओं में कारोबार चला रहा है जो भारत में एक से अधिक स्थानों से संबंधित हैं, तो आवेदक को ऐसे तथ्य का कथन करना चाहिए और ऐसे स्थान का पता देना चाहिए, जिस वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। यदि, तथापि आवेदक संबंधित माल या सेवाओं में कारोबार नहीं चलाता, किन्तु अन्य माल या सेवाओं में भारत के किसी एक स्थान पर कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए, और जहाँ आवेदक भारत में एक से अधिक स्थानों पर ऐसा कारोबार चलाता है तो इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और ऐसे स्थान का पता दिया जाना चाहिए, जिसे वह अपने कारोबार का प्रधान स्थान समझता हो। जहाँ आवेदक भारत में कोई कारोबार नहीं चला रहा हो, वहाँ इस तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और भारत में उसके निवास के, यदि कोई हो, स्थान का कथन किया जाना चाहिए और उस स्थान का पता दिया जाना चाहिए। कोई आवेदक, यथास्थिति, कारोबार के प्रधान स्थान या भारत में ऐसा कोई पता दे सकेगा, जिस पर आवेदन से संबंधित संसूचनाएँ भेजी जा सकेंगी। (नियम 19 देखिए) जहाँ आवेदक के पास भारत में न तो कारोबार का स्थान है और न ही निवास का, वहाँ ऐसे तथ्य का कथन किया जाना चाहिए और विदेश में उसके गृह देश के पते के साथ भारत में तामील के लिए पता देना चाहिए।
5. अतिरिक्त मामले के लिए, यदि अपेक्षित है, अन्यथा खाली छोड़ दें।-----
6. यदि रंगों के संयोजन का दावा किया गया है तो स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें और रंगों का कथन करें। यदि चिन्ह त्रिआयामी व्यापार चिन्ह है, तो इस आशय का कथन किया जाना चाहिए। नियम 25 और नियम 29 देखिए।
7. आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह, अभिकर्ता या आवेदक के अनन्य और नियमित नियोजन में कोई व्यक्ति) (धारा 145 देखिए)।
8. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का कथन करें। (नियम 4 देखिए)।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -70
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500रु. पहली अनुसूची प्रविष्टि सं. 74 देखिए

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

दस्तावेजों की त्वरित प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रार्थना।

(धारा 137, 148, नियम 82 (ग)नियम 119 का परन्तुक)

-----वर्ग-----में रजिस्ट्रीकृत -----
-----संख्या वाले व्यापार चिन्ह के विषय में¹ -----मैं/हम² -----
---प्रार्थना करता हूँ/ रते हैं कि रजिस्ट्रार मुझे/ हमें⁴ -----इस आशय के अपने प्रमाणपत्र/
अभिप्रमाणित प्रति दे दें।

जो -----में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में उपयोग किए जाने के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र³ हैं।

प्रमाणपत्र/ प्रमाणित प्रति भारत में⁵ -----निम्नलिखित पते पर भेज दी जाए।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

-----⁶

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

मुंबई में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. अन्य मामलों में उपयुक्त लगने पर शब्दों में विभिन्नता हो सकती है।
2. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।
3. जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
4. वे विशिष्टियाँ दें, जिनको प्रमाणित करना रजिस्ट्रार से अपेक्षित है या उस दस्तावेज की विशिष्टियों का कथन करें जिसकी अधिप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।
5. देश या राज्य का नाम भरें।
6. हस्ताक्षर
7. नियम 8(2)(ग) देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -71
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 2500रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

शीघ्र तलाशी रिपोर्ट प्राप्ति के लिए प्रार्थना

(नियम 8 (ग)नियम 24 (1) का परन्तुक)

रजिस्ट्रार से नियम 24 (1) के अधीन² -----वर्ग की बाबत¹-----
---तलाशी का अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिन्ह अभिलेख पर हैं जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजे गए व्यापार चिन्ह के सदृश है (प्रत्येक समाकृति आकार में लगभग 13 इंच या 33 से.मी. * 20 से.मी. के मोटे कागज की शीट पर मढ़ी हो।)
इस अनुरोध से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

3 -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

मुंबई में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. यदि वर्ग ज्ञात न हो तो रजिस्ट्रार के निर्देश अभिप्राप्त किए जा सकते हैं।
2. यहाँ उन माल व सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें (कथित वर्ग में) जिसकी बाबत तलाशी की जानी है।
3. हस्ताक्षर
4. नियम 8(2)(ग) देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -72
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 25000₹.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

शीघ्र तलाशी और प्रतिलिप्याधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रार्थना

(नियम 8 (2) (ग) नियम 24 (5))

रजिस्ट्रार से नियम 24 (3) के अधीन यह पता लगाने के लिए तलाशी का अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिन्ह अभिलेख पर हैं जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजे गए व्यापार चिन्ह के सदृश है (प्रत्येक समाकृति आकार में लगभग 13 इंच या 33 से.मी. * 20 से. मी. के मोटे कागज की शीट पर मढ़ी हो।) और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957, की धारा 45 के अधीन इसके उपयोग के लिए प्रमाणपत्र जारी करें।

इस अनुरोध से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

¹ -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

²मुंबई में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. हस्ताक्षर
2. नियम 8(2)(ग) देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह -73
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 3000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के इंकार या अविधिमान्यकरण केलिए प्रार्थना।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
(धारा 25 (क) नियम 74 (2) देखिए)

(शपथपत्र और मामले के कथन की तीन प्रति के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

वर्ग में-----संख्या वाले-----
-नाम में व्यापार चिन्ह लंबित/ रजिस्ट्रीकृत हैं के विषय में।

(क) मैं/ हम¹ -----आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि -----वर्ग में -----
-----संख्या वाले-----के नाम में लंबित व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण केलिए
निम्नलिखित आधारों पर इंकार किया जाए।

²(छ) मैं/ हम¹ -----आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि निम्नलिखित रीति से ऊपर उल्लेखित व्यापार चिन्ह की बाबत
रजिस्टर में प्रविष्टि को हटा दिया/ परिशोधित² किया जाए।

मेरे /हमारे अनुरोध के कारण निम्नलिखित है-

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय²-----में समुचित कार्यालय है।

⁴मामले के कथन के साथ शपथपत्र में यह घोषणा की जाएगी कि शपथकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरण में दी गई विशिष्टि सही है और उसमें उस व्यापार चिन्ह से संबंधित प्रत्येक तात्त्विक तथ्य और दस्तावेज समाविष्ट है, जिनमें ऐसा भौगोलिक उपदर्शन हैं या अन्तर्विष्ट है जो किसी देश केराज्यक्षेत्र या उस राज्य क्षेत्र में किसी प्रदेश या अवस्थान में उद्भूत नहीं है, जिसे ऐसा भौगोलिक उपदर्शित करता है और जिससे किसी व्यक्ति को भ्रम याएसी मिथ्या होने की संभावना है कि वह माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, की धारा 25 के अर्थान्तर्गत अभिसाक्षी के सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसे माल या वर्ग या माल के वर्ग के मूल का सही स्थान है।

इस प्रार्थना से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी:-

तारीख -----

-----⁵

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----³ में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। भारत में तामील केलिए पता लिखें यदि आवेदक का भारत में कारोबार या निवास का कोई स्थान नहीं है।
2. उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हो।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरे। नियम 4 देखिए।
4. शपथपत्र उन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार या उसे अविधिमान्य करने केलए प्रार्थना फाइल कर रहे हैं।

5. हस्ताक्षर

प्रारूप व्यापार चिन्ह -74
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 3000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

व्यापार चिन्ह के इंकार या अविधिमान्यकरण के लिए प्रार्थना।

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
(धारा 25 (ख) नियम 75 (2) देखिए)

(रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत जितने रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है, शपथ की उतनी प्रतियों और मामले के कथन की तीन प्रति के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाए।)

वर्ग में-----संख्या वाले-----
-नाम में व्यापार चिन्ह लंबित/ रजिस्ट्रीकृत हैं के विषय में।
(क) मैं/ हम¹ -----आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि -----वर्ग में -----
-----संख्या वाले-----के नाम में लंबित व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए
निम्नलिखित आधारों पर इंकार किया जाए।

²(ख) मैं/ हम¹ -----आवेदन करता हूँ/ करते हैं कि निम्नलिखित रीति से ऊपर उल्लेखित व्यापार चिन्ह की बाबत
रजिस्टर में प्रविष्टि को हटा दिया/ परिशोधित² किया जाए।

मेरे/हमारे अनुरोध के कारण निम्नलिखित है-----
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय² -----को व्यापार चिन्ह के संबंध में समुचित
कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्टि किया गया है।

मामले के कथन के साथ शपथपत्र में ⁴यह घोषणा की जाएगी कि विवरण में दी गई विशिष्टि सही है और उसमें उस व्यापार
चिन्ह से संबंधित प्रत्येक तात्त्विक तथ्य और दस्तावेज से मिल कर बने है, जो विरोध में है या जो अभिसाक्षी के सर्वोत्तम ज्ञान और
जानकारी से माल का, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, की उपधारा 2 के अधीन अधिसूचित माल या
वर्ग या वर्गों के पहचानने वाले भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट है या से मिल कर बना है।

इस प्रार्थना से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-
तारीख -----

5 -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में
सेवामें,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

³ में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। भारत में तामील केलिए पता लिखें यदि आवेदक का भारत में कारोबार या निवास का कोई स्थान नहीं है।
2. उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हो।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम भरें। नियम 4 देखिए।
4. शपथपत्र उन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार या उसे अविधिमान्य करने के लिए प्रार्थना फाइल कर रहे हैं।
5. हस्ताक्षर

प्रारूप व्यापार चिन्ह -75
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 5000रु.

अभिकर्ता का कोड सं.
स्वायत्त्वधारी का कोड सं.

नियम 32 के अधीन तलाशी करने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रार्थना।

मैं/ हम रजिस्ट्रार से तलाशी और यह अभिनिश्चत करने का अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यापार चिन्ह अभिलेख पर हैं जो इसके साथ तीन प्रतियों में भेजे गए कंपनी के नाम (या प्रस्तावित) के सदृश है (प्रत्येक समाकृति आकार में लगभग 13 इंच या 33 से.मी. * 20 से. मी. के मोटे कागज की शीट पर मढ़ी हो।) और एक प्रमाणपत्र जारी करें।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

2 -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

----- व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. भारत में पता।
2. हस्ताक्षर

प्रारूप व्यापार चिन्ह अ. -01
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1000रु.

व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, नियम 153

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

मैं, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की प्रार्थना करता हूँ।

¹-----से प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न है।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि मैं व्यापार चिन्ह नियम, 2001 के नियम 151 के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv), खंड (v), खंड (vi), में उल्लिखित किसी नियोग्यता से ग्रस्त नहीं हूँ।

1. उपनाम सहित यदि कोई हो, पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)-----
2. निवास का स्थान का पता-----
3. कारोबार का प्रधान स्थल-----
4. पिता का नाम-----
5. राष्ट्रीयता-----
6. जन्म तारीख और स्थान-----
7. पूरा व्यवसाय-----
8. व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लाए अहताओं की विशिष्टियाँ-----
9. क्या किसी समय व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाया गया है, यदि ऐसा है, तो-----

तारीख-----

²-----

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह

³-----में

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. जहाँ आवेदक साधारणतः निवास करता हैं वहाँ जिले के जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र होना चाहिए।
2. दस्तावेज न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं। नियम 4 देखिए।

प्रारूप व्यापार चिन्ह अ. -02
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 1000रु. और प्रथम अनुसूची में प्रविष्ट संख्या 79 में विनिर्दिष्ट निरंतरता फीस
व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रजिस्ट्रार में किसी व्यक्ति के नाम को प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन, नियम 159
(तीन प्रतियों में भरा जाए)
मैं-----का-----व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में, जिसमें मेरा नाम-----
-----संख्या के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया था, अपना नाम प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन करता हूँ।
मेरा नाम व्यापार चिन्ह, नियम 2001 के नियम 157 (1) के खंड (ख) के अधीन-----को हटाया
गया था।
इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

2 -----

हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,
-----² व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

प्रारूप व्यापार चिन्ह अ. -03
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

फीस : 200रु.

व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए आवेदन, नियम 160

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

मैं-----का-----रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता (रजिस्ट्रीकरण सं.-----
-----) होते हुए यह अनुरोध करता हूँ कि व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में यथा प्रविष्टि मेरे नाम², निवास स्थान के
²पता, कारोबार के प्रधान स्थान का पता यार्हताओं में निम्न रूपकार से परिवर्तन किया जाए।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----

----- हस्ताक्षर/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

-----³व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय

1. पूरा नाम और पता भरें।
2. जो शब्द लागू न हों, उसे काट दें।
3. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय का नाम और स्थान लिखें।

प्रारूप 0-1
भारत सरकार
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना- धारा 23 (3) नियम (58)

संख्या-----

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 23 (3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि उस व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी, बाबत- 20 -----को उपरोक्तानुसार संख्यांकित आवेदन किया गया था, आवेदक की चूक के कारण पूरा नहीं हुआ है। यदि इस सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं कर दिया जाता, तो आवेदन को परित्यक्त मान लिया जाएगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख -----
सेवा में,
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार,

प्रारूप 0-2

भारत सरकार

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र - धारा 23 (2) नियम 62 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या-----

तारीख -----

प्रमाणित किया जाता है कि व्यापार चिन्ह जिसकी समाकृति इसके साथ संलग्न है -----की बाबत-----

-----तारीख----- के सं. के अधीन -----वर्ग में -----

-----के नाम से रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

तारीख -----20-----को मेरे निदेशानुसार मुद्रांकित किया गया।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह

रजिस्ट्रीकरण, ऊपर उल्लिखित पहली तारीख से 10 वर्ष के लिए हैं और तब इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी नवीनीकरण किया जा सकेगा। [व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47)की धारा 25 और व्यापार चिन्ह नियम, 2001 के नियम 63 से 66 तक देखिये।]

यह प्रमाणपत्र विधिक कार्यवाही में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्ति के उपयोग के लिए नहीं है।

टिप्पण :- इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन, या भारत में कारोबार के प्रधान स्थान के पता या सेवा के लिए पते में परिवर्तन होने पर तुरंत परिवर्तन को रजिस्टर करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

प्रारूप 0-3

भारत सरकार

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की सूचना- धारा 23 (2) नियम 64 (1)

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह संख्या-----

वर्ग -----

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 25 (3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, पूर्वोक्त व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण -----
-----को समाप्त होगा और यह कि तारीख-----को

यह उससे पहले -----रूपए की विहित फीस सहित संलग्न प्रारूप व्या. चि.12 पर आवेदन के
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में प्राप्त होने पर 10 वर्ष की और अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

तारीख -----

रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह,

प्रारूप 0-4
भारत सरकार
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र- नियम (155)

संख्या-----

प्रमाणित किया जाता है कि -----के-----को तारीख-----
-----20-----को, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 2001 के नियम 148 के अधीन रखे गए
व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

रजिस्ट्रार ,व्यापार चिन्ह

चतुर्थ अनुसूची

माल और सेवाओं का वर्गीकरण - वर्गों के नाम

किसी वस्तु या साधित्र के पर्जे, साधारणतया, उसी वस्तु या उपकरण के पुर्जों के रूप में वहाँ के सिवाय जहाँ कि ऐसे पुर्जे स्वये अन्य वर्गों में सम्मिलित वस्तुएँ हैं, वर्गीकृत किए गए हैं:-

1

1.

उद्योग विज्ञापन, फोटोग्राफ, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी में उपयोग किए गए रसायन, अप्रसंस्कृत कृत्रिम राल, अप्रसंस्कृत प्लास्टिक खाद, अग्निशमन मिश्रण, झलाई और फलई चढ़ाने की निर्मितियाँ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए रासायनिक पदार्थ, चर्म शोधक पदार्थ, उद्योग में प्रयुक्त आसंजक पदार्थ।

2

पेंट, वार्निश, प्रलाक्षारस, जंग रोधी काष्ठ का अवलक्षणा रोधी परिरक्षक रंजक पदार्थ, रंगने के लिए पदार्थ, रंग स्थापक पदार्थ, कच्ची राल नैसर्गिक पेंटरों, सज्जकों, प्रिंटरों और कलाकारों के लिए वर्क या चूरे के रूप में धातुएँ।

3

लाँड्री में प्रयोग होने वाले विरंजक निर्मितियाँ और अन्य पदार्थ, स्वच्छ करने, चमकाने, खरोचने और घिसनेवाली निर्मितियाँ, साबुन, परिमल पदार्थ (गंध द्रव्य), वाष्पशील तेल, सौंदर्य प्रसाधन, केश धोने वाले घोल, दंत मंजक।

4

औद्योगिक तेल और चिकनाईयाँ, स्नेहम, धूल जमानेवाले, गीला करनेवाले, सोखनेवाले, सम्मिश्रण, ईंधन (मोटर स्पिरिट सहित) और प्रदीपक मामबत्तियाँ, बत्ती।

5

भेषजीय, शालिहोत्रिक और सफाई (शौच) संबंधी निर्मितियाँ, चिकित्सीय उपयोग के लिए अनुकूलित आहार संबंधी पदार्थ, शिशुओं के लिए खाद्य, लेप, पट्टी, रूई इत्यादि, दंत रोधक सामग्री दंत वैक्षण रोगाणु, नामशक, अनखुण और कृमियों को नष्ट करने वाली निर्मितियाँ।

6

सामान्य धातुएँ और उनकी मिश्र धातु, धात्विक ढली सामग्री, ढली भवन (निर्माण) सामग्रियाँ, रेल पथ के लिए पटरियाँ, जंजीरें (अ-विक्षसतीय) केबिल और तार और लोहे के समान का

अन्य भेद, लुहारी की चीजें, धात्विक नल और नलियां, सेफ और तिजोरियां, कम कीमती धातु वाली अन्य वस्तुएं जो कि अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, अयस्क।

7

मशीन और मशीनी औजार, मोटरें और इंजन (जो मोटरें यानों में काम आती है, उन से भिन्न) मोटरें, जो (कपलिंग और माल यानों में काम आती है, उनसे भिन्न) कपलिंग और माल वाहक प्रचालन से भिन्न कृषि उपकरण, अंडों के लिए इन्क्यूबेटर।

8

हाथ से काम करने के औजार और उपकरण, हस्त प्रचालित चाकू, छुरी, काँटे, चम्मच, बगली शस्त्रास्त्र रेजर।

9

वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत, फोटोग्राफी, सिनेफोटोग्राफी, आले, तुलाई, मापक, संकेतक, पड़तालक, पर्यवेक्षक, प्राण रक्षक और शैक्षणिक यंत्र और उपकरण, ध्वनि या बिम्ब का अभिलेखन, पारेषण या पुनः प्रस्तुतिकरण, चुम्बकीय डाटा वाहक, रिकार्डिंग डिस्क, स्वतः बेचन वाली मशीन, सिक्का प्रचालन साधित्र के लिए यांत्रिकी रोकड़, रजिस्टर, गणनयंत्र, डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर और कम्प्युटर, अनिंशमन यंत्र।

10

शाल्यिक, औषधीय, दंत और शालिहोत्रिक आले और यंत्र, कृत्रिम अंग, नेत्र और दाँत सहित, आर्थोपेडिक वस्तुएं, सीवन सामग्री।

11

प्रकाशन साधित्र, तापक, वाष्पजनक, पकाने, वातानुकूलित करने, सुखाने, प्रवातक, जल प्रदाय और शौच के लिए प्रतिष्ठापित यंत्र।

12

यान, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने वाले यंत्र।

13

अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र, विस्फोटक पदार्थ, आतिशबाजी।

14

बहुमूल्य धातुएं और उनका मिश्रधातु और बहुमूल्य धातुओं में वस्तुएं या उनका पानी चढ़ी वस्तुएं, जो अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं। आभूषण, बहुमूल्य रत्न, घड़ीसाजों और अन्य कालमापी उपस्कर।

15

संगीत के उपकरण

16

कागज गत्ता और इन सामग्री से बनी वस्तुएं जो अन्य वर्ग में शामिल नहीं हैं, मुद्रित सामान, जिल्दसाजी सामग्री, फोटोग्राफी, लेखन सामग्री या घरेलू प्रयोजनों के लिए श्लेषक, कलाकारों की सामग्री, पेंट ब्रश, टाइपराइटर और कार्यालय की अपेक्षित वस्तुएं (फर्नीचर को छोड़कर) शिक्षा और अध्यापन सामग्री (साधित्र को छोड़कर), पैकिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री (जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं है), ताश, मुद्रण टाइप, मुद्रण ब्लाक।

17

रबर, गद्दा पर्चा, गम, एस्बेस्टोस, अभ्रक और इन सामग्री से बने माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, विनिर्माण में उपयोग के लिए बहिर्वार्धित रूप में प्लास्टिक पैकिंग, ठहराव और इनसूल सामग्री, नमनीय पाइप जो धातु की न हों।

18

चमड़े और कृत्रिम चमड़े और इन सामग्रियों से बने माल या जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं हैं, पशु की खाल, चर्म, ट्रक और यात्रा में ले जानेवाले थैले, छाते, छतरियाँ, संचेतक, साज-सज्जा और सॉंडिलरी।

19

भवन निर्माण सामग्री (गैर- धात्विक), भवनों के लिए गैर धात्विक कठोर पाइप, फाल्टाप और बिटुमैन, गैर धात्विक वहनीय भवन, स्मारक जो धातु के हैं।

20

फर्नीचर, शीशे, तस्वीरों के चौखटें (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं) लकड़ी की चीजें, कार्क, सरकंडे, बेंत, सींक, सींग, हड्डी, हाथीदाँत व्हेल की हड्डी, सीप, अंबर, सीपी, मरशेबम, सेल्यूलाइड और इनकी प्लास्टिक की सामग्रियां।

21

घरेलू बर्तन और पात्र (जो किसी कीमती धातुओं से नहीं है या जिन पर ऐसी धातुओं का पानी नहीं है), कंवें और स्पंज, (चित्रकारी की ब्रशों से भिन्न) ब्रश, ब्रश बनाने की सामग्रियां, मार्जनार्थ उपकरण, स्टीलवूल, अकृत या अर्धकृत काँच (भवनों में प्रयुक्त काँच को छोड़कर) के बर्तन, चीनी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं हैं।

22

रस्से, सुतली, जाल, तंबू, चंदवा, तरपाल, पाल, बोरे और थैले (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं) गद्दी, और भरी जाने वाली सामग्रियां, (रबर या प्लास्टिक को छोड़कर) कच्चे रेशेदार वस्त्र सामग्रियां।

23

वस्त्र उपयोग के लिए, सूत और धागे।

- 24 वस्त्र और वस्त्र की वस्तुएं जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, पलंग और टेबल पोश।
- 25 कपड़े, जूतादि, हैंडगियर।
- 26 गोटा, कसीदा, फीता और चोटी, बटन, दबाकर लगने वाले बटन, हुक और अखुआ, पिन और सुईयां, नकली फूल।
- 27 गलीचे, लोई, चटाईया, बिछावन, विद्यमान फर्शों को बनने के लिए लिनोलियम और अन्य सामग्रियां(बेबुने) दीवार के पर्दे।
- 28 खेल और खेल का सामान, जिमनास्टिक और क्रीड़ा की वस्तुओं जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, क्रिसमस वृक्ष के लिए आभूषण और शृंगारिक वस्तुएं।
- 29 माँस, मछली, मुर्गा पालन, क्रीड़ा, माँस का सत, अचार, पड़े, सुखाए गए और पकाये गए फल और तरकारियां, जेली, जेम, फल सॉस, अंडे, दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल और वसा।
- 30 कॉफी, चाय, कोका, चीनी, चावल, टेपीओका, साबूदाना, कृत्रिम कॉफी, आटा और अनाजों से बनी निर्मितियां, रोटीख पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी, बर्फ, शहद, जूसी, खमीर, बेकिंग पावडर, नमक, सरसों, काली मिर्च, सिरका, सॉस, मसाले, बर्फ।
- 31 कृषि, बागवानी और बन्य उत्पाद और अनाज, जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, जीवित पशु। ताजे फल और तरकारियां, बीज, जीवित पौधे और फूल, पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ, द्रव्य।
- 32 बीयर, खनिज और वाति पेय और अन्य अमद्यसारिक पेय फलदेय, फल जूस, नैसर्गिक शर्बत, और पेयों के बनाने के लिए अन्य निर्मितियां।
- 33 मद्य-पेय (बीयर को छोड़कर)।
- 34 तंबाकू, धूम्रपान करने वालों की चीजें, दियासलाइयां।

सेवाएं

- 35 विज्ञापन, कारोबार प्रबंध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय के कृत्य।
- 36 बीमा, वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, संपदा कार्य।
- 37 भवन सन्त्रिमाण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं।
- 38 दूरसंचार।
- 39 यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम।
- 40 सामग्री का बहिस्थाव।
- 41 शिक्षा, प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीड़ा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

खाद्य और पेय, अस्थायी वास, चिकित्सा, स्वच्छता और सौंदर्य देखभाल, पशुचिकित्सा और कृषि सेवाएं, विधिक सेवाएं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, कम्प्युटर प्रोग्रामिंग सेवाएं देना जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है।
